रजि० सं० डी-(डी)-73 REGISTERED NO. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 16, 1977 (आषाढ़ 25, 1899)
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 16, 1977 (ASADHA 25, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

(Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India)

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011 दिनांक 31 मई 1977

सं० ए० 32013/3/76-प्रशा०-I—इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-5-1977 के अनुक्रम में भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारी श्री एम० एस० थान्वी को, राष्ट्रपति द्वारा 9-5-1977 से 30-6-1977 तक की अतिरिक्त अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशो तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 32014/1/77-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग मे स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ग) श्री के० सुन्दरम को राष्ट्रपति द्वारा 25-5-1977 से 31-7-1977 तक 65 दिन की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशो तक, जो भी पहले हो उसी संवर्ग में पूर्णत, अस्थायी और तदर्थ आधार मे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) मे स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 7 जून 1977

सं० ए० 32013/1/76-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I के स्थायी अधिकारी श्री अनिलेन्दु गुप्त को, राष्ट्रपति द्वारा 16-5-1977 से 30-6-1977 तक की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशो तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के चयन ग्रेड मे उप सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

प्रा० ना० मुखर्जी
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 1977

सं० ए० 11013/2/74-प्रशा०-II—संघ लोक सेवा आयोग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-3-1977 के अनुक्रम मे सलाहकार, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियो/ सहायको को आयोग के कार्यालय में 1-6-1977 से दो मास की अतिरिक्त अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशो तक, जो भी पहले हो, अनुभाग

अधिकारी (विशेष) के पद पर तदर्थ आधार में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :—

क्रम संख्या	नाम	के० स० से० के संवर्ग में पद
1.	श्री बी० एस० जगोपोता	अनुभाग अधिकारी
2.	श्री आर० एन० खुराना	अनुभाग अधिकारी
3.	श्री एस० श्रीनिवासन	अनुभाग अधिकारी
4.	श्री एस० के० अरोड़ा	सहायक
5.	श्री जी० बी० माथुर	सहायक

उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति अनुभाग अधिकारी (विशेष) के पद पर प्रतिनियुक्ति पर होगी और उनका वेतन समय समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० एफ० 10 (24) -ई० III/60 दिनांक 4-5-1961 में निहित शर्तों के अनुसार विनियमित होगा।

प्रभातनाथ मुखर्जी, अवर सचिव
कृते सलाहकार

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जून 1977

सं० ओ०-II-15/74-स्थापना/पर्स-4 —राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग के अधिकारी, श्री एस० एम० घोष को जो इस समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुलिस महा निरीक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर है केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री घोष ने 1-6-77 के पूर्वाह्न में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस महानिरीक्षक एस० III, दिल्ली के पद का कार्यभार सौंप दिया तथा उसी दिन के पूर्वाह्न में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के पद का कार्यभार संभाल लिया।

सी० चक्रवर्ती,
निदेशक
महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जून 1977

सं० ओ०-II-1046/76-स्थापना—महानिदेश केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल ने डाक्टर कोशी ऐयापन को, 18-6-1977 के पूर्वाह्न केवल 3 माह के लिये, अथवा उस पद पर नियमित नियुक्त होने तक, इनमें जो भी पहले हो उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है।

सं० ओ०-II-1061/77-स्थापना—राष्ट्रपति डाक्टर मोहन चरण सेठी को अस्थायी रूप में आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में जी० डी० ओ० ग्रेड-II (डी० एस० पी०/कम्पनी कमांडर) के पद पर उनको 9-6-1977 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

सं० ओ०-II-1064/77—स्थापना—राष्ट्रपति डाक्टर कुलभूषण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में जी० डी० ओ० ग्रेड-I (सहायक कमांडेंट) के पद पर उनको 17-6-77 पूर्वाह्न से नियुक्त करते।

सं० ओ०-II-1065/77-स्थापना—राष्ट्रपति डाक्टर ललित कुमार श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक [illegible] य रिजर्व पुलिस दल में जी० डी० ओ० ग्रेड-II (डी० [illegible]ए० पी० / कम्पनी कमांडर) के पद पर उनको 20-6-77 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

दिनांक 29 जून 77

सं० ओ०-II-1063/77-स्थापना—राष्ट्रपति डाक्टर सुरेश कुमार बागजी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल में जी० डी० ओ० ग्रेड- (डी० एस० पी०/कम्पनी कमांडर) के पद पर उनकी 14-6-1977 अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

ए० के० बन्धोपाध्याय
सहायक निदेशक प्रशासन

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-24, दिनांक 16 जून 1977

सं० ई० 38013(3)/2/77-कार्मिक—राष्ट्रपति, श्री एन० सी० सेन गुप्ता को तदर्थ आधार पर के० औ० सु० ब० यूनिट हल्दिया डॉक प्रोजेक्ट का स्थानापन्न रूप से सहायक कमांडेंट नियुक्त करते हैं और उन्होंने 9 मई, 1977 के पूर्वाह्न से उक्त पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सी० सिं० बिष्ट
महानिरीक्षक

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 4 जून 1977

पत्रावली क्र० बी० एन० पी०/ इ०/8/एन० -6—श्री एम० लक्ष्मीनारायन, स्थायी निरीक्षक नियन्त्रण जो कि बैंक नोट मुद्रणालय में दिनांक 4-6-76 से तदर्थ आधार पर स्थानापन्न उप-नियन्त्रण अधिकारी के रूप में कार्यरत थे का दिनांक 29 मई, 1977 के अपराह्न से निरीक्षक नियन्त्रण के पद पर प्रत्यावर्तन किया जाता है।

पी० एस० शिवराम
महा प्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 1977

सं० प्र० 1/2 (1)/V/ 1286—(1) महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, नई दिल्ली श्री के० ग्रार० बत्रा की दिल्ली विकास प्राधिकरण नई दिल्ली में विदेश सेवा काल के दौरान अपने कार्यालय में लेखा अधिकारी संवर्ग में स्थानापन्न रूप में 840-40-1000 द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में एन० बी० ग्रार० के अन्तर्गत 30-4-77 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक अनन्तिम रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

(2) महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण कार्य तथा विविध, नई दिल्ली श्री एम० एल० सलवान की भी उनकी बदरपुर थर्मल योजना में प्रति नियुक्ति के दौरान, अपने कार्यालय में लेखाधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप में 840-40-1000 द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में एन० बी० ग्रार० के अन्तर्गत 1-6-77 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक अनन्तिम रूप से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए० ० मान

उपमहालेखाकार (प्र)

महालेखाकार का कार्यालय, आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद, दिनांक 22 जून, 1977

महालेखाकार, आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद कार्यालय के अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री के० जार्ज को महालेखाकार आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद द्वारा वेतनमान रु० 840-40-1000 ई० बी०-40-1200 पर उसी कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर 18-6-77 के पूर्वाह्न से जब तक आगे आदेश न दिये जाएं, नियुक्त किया जाता है। यह पदोन्नति उनसे वरिष्ठ सदस्यों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है।

एस० ग्रार० मुखर्जी

प्रवर उप-महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, बिहार

रांची, दिनांक 25 जून, 1977

सं० एल० ए० प्रशासन-I-इस्टे०- /1905—महालेखाकार बिहार रांची अपने कार्यालय के स्थानीय अंकेक्षण प्रशाखा के श्री श्रीनन्दन लाल दास अनुभाग अधिकारी (अंकेक्षण) को दिनांक 22-6-77 पूर्वाह्न में अगले आदेश होने तक स्थानापन्न सहायक स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार के पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

सं० एल० ए० प्रशासन I इस्टे० I - 191—महालेखाकार बिहार रांची अपने कार्यालय के स्थानीय अंकेक्षण प्रशाखा के श्री लक्ष्मण दास अनुभाग अधिकारी (अंकेक्षण) दिनांक 22-6-77 पूर्वाह्न में अगले आदेश होने तक स्थानापन्न, सहायक स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार के पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

सं० एल० ए० प्रशासन I-इस्टे० I/1917—महालेखाकार बिहार रांची अपने कार्यालय के स्थानीय अंकेक्षण प्रशाखा के श्री वीरेन्द्र प्रसाद वर्मा अनुभाग अधिकारी (अंकेक्षण) को दिनांक 22-6-77 पूर्वाह्न में अगले आदेश होने तक स्थानापन्न, सहायक स्थानीय लेखा परीक्षक, के पद पर सहर्ष पदोन्नत करते हैं।

के० रामनाथन

स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, रांची

कार्यालय महालेखाकार, महाराष्ट्र-I

बम्बई, दिनांक 27 जून, 1977

सं० प्रशा०-1 भा० ले० वि० /31-खण्ड-3/2 —महालेखाकार महाराष्ट्र-1, बम्बई, अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट किये गये दिनांक से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

क्र० सं०	नाम	दिनांक
1.	श्री जी०एस० भिडे	10-6-1977 (पूर्वाह्न)
2.	श्री पी० जी० नगरकर	8-6-1977 (पूर्वाह्न)
3.	कु० एस० जी० देव	8-6-1977 (अपराह्न)
4.	श्री बी० एन० पाध्ये	8-6-1977 (अपराह्न)

श्रीमती र० कृष्णन कुट्टी

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

रक्षा मंत्रालय

भारतीय ग्रार्डनैन्स फैक्टरियां स्वास्थ्य सेवाएं,

महानिदेशालय, ग्रार्डनैन्स फैक्टरियां

कलकत्ता 700069, दिनांक 21 जून 1977

सं० 23/77/जी०—राष्ट्रपति, डा० बी० ग्रार० चौधरी, स्थानापन्न डी० ए० डी० जी० ग्रो० एफ० सेंड को दिनांक 27 सितम्बर, 1976 से, अन्य आदेश न होने तक, स्थानापन्न प्रिंसिपल मैडिकल अफसर के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

दिनांक 23 जून, 1977

सं० 27/77/जी०—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को अस्थायी सहायक प्रबन्धक/ टी० एस० ओ० के पद पर प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीखों से, अन्य आदेश न होने तक, नियुक्त करते हैं।

1. डा० अभिजित दुरकायस्थ 10 दिसम्बर, 1976।
2. श्री चन्द्रशेखरपुरम स्वामीनाथ रामानाथन 6 दिसम्बर, 1976

3.	श्री कोल्लामपरमपिल जॉन कुरुविल्ल,	6 दिसम्बर, 1976 ।
4.	श्री सुधीन कुमार रे	1 अप्रैल, 1977 ।
5.	श्री मुथालमपेट गोपालकृष्णन्	3 जनवरी, 1977 ।
6.	श्री सत्यकिंकर देशमुख	11 दिसम्बर, 1976 ।
7.	श्री रामकृष्ण विश्वनाथ वैद्य,	11 जनवरी, 1977 ।
8.	श्री प्रभु सवलराम काम्ले,	2 दिसम्बर, 1976 ।
9.	श्री चुड़ामणि मिश्रा,	1 दिसम्बर, 1976 ।
10.	श्री क्राइस्ट मुक्ति प्रसाद कुजुर,	24 नवम्बर, 1976 ।

दिनांक 24 जून 1977

सं० 28/77/जी०—राष्ट्रपति श्री पी० एल० जलोटा, स्थायी महाप्रबन्धक, ग्रेड-II को, स्थानापन्न डी० डी० जी० ओ० एफ०, स्तर-II के पद पर, दिनांक 15 अक्तूबर, 1976 (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं ।

एम० पी० आर० पिल्लाय
सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 1977

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण
(स्थापना)

सं० 6/302/55-प्रशा० (राज०) / 4421—राष्ट्रपति, कुमारी एस० के० ग्रेवाल, उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से भिन्न) को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली में बिल्कुल तदर्थ और अस्थायी आधार पर 1-2-77 से 30-6-77 तक अथवा जब तक स्थायी प्रबन्ध न हो जाए, इसमें जो भी पहले हो उस तक के लिए संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० 6/1018/74-प्रशासन (राज०) / 4440 —सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में स्थानापन्न अधिकारी, श्री डी० आर० खत्री ने 31 मई, 1977 के अपराह्न से इस कार्यालय में नियंत्रक, आयात-निर्यात के पद का कार्य-भार छोड़ दिया ।

दिनांक 21 जून 1977

सं० 6/1149/76-प्रशासन (राज०) 4373—राष्ट्रपति, श्री स्वर्ण सिंह, आशुलिपिक श्रेणी "बी०" (तदर्थ) को दिनांक 30 अप्रैल, 1977 (पूर्वाह्न) से आगे के आदेश होने तक, अस्थायी रूप से आशुलिपिक श्रेणी 'बी०' के रूप में बने रहने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

सं० 6/1166/77-प्रशासन (राज०)/4367—राष्ट्रपति, श्री एम० एल० बस्सी, आशुलिपिक श्रेणी 'बी०' (तदर्थ) को दिनांक 30 अप्रैल, 1977 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश होने तक आशुलिपिक श्रेणी 'बी' के रूप में अस्थायी आधार पर बने रहने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

ए० एस० गिल
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 1977

सं० 3/1/76-प्रशासन (राज०) / 4515—मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मनोनीत किये गए निम्नलिखित अधिकारियों को इस कार्यालय में 20 जून, 1977, के दोपहर पूर्व से आगे के आदेश होने तक नियंत्रक, आयात-निर्यात श्रेणी-2 (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से भिन्न) के रूप में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एस० राजा शेखर
2. श्री बी० सी० बागची
3. श्री टी० के० चौधरी
4. श्री एस० के० दादू
5. श्री एम० बी० गुरुराजा राव
6. श्री एन० एन० घोष
7. श्री डी० एस० मोंगिया
8. श्री के० एन० नटराजन
9. श्री एस० के० वेंकटेश्वरन
10. श्री एस० नारायण नायर
11. श्री एम० एल० भूटानी
12. श्री के० के० राय
13. श्री अशोक बनसोद
14. श्री सी० वी० निरालाराजन
15. श्रीमती माया देवी केम
16. श्री एस० एल० गेडे
17. श्री सूरत सिंह
18. श्री बी० आर० कावत ।

2. नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में उपर्युक्त अधिकारी से नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०- 880-40-1000 द० रो०- 40- 1200 रुपये के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे ।

ए० टी० मुखर्जी
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-1)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 1977

सं० प्र०-1/1(414)/II—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-I) भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए० के० ग्रेड-III) श्री हरनारायण को दिनांक

6 जून, 1977 के पूर्वाह्न से तथा आगामी आदेशों तक जारी होने तक इसी महानिदेशालय, नई दिल्ली में उपनिदेशक, पूर्ति (भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए के ग्रेड-II) के रूप में स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

कीरत सिंह
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

विस्फोटक सामग्री विभाग

नागपुर, दिनांक 23 जून, 1977

सं० ई०-II(7) —इस विभाग की समय समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं० ई०-II(7), दिनांक 11 जुलाई, 1969 में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:

श्रेणी-6 भाग-3 के अधीन

(1) प्रविष्टि "डिले डिटोनेटर रिलेस" के पूर्व "कोल डिले डिटोनेटर्स" जोड़ा जाये।

इगुव नरसिंह मूर्ति
मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016, दिनांक 21 जून, 1977

सं० 40/59/सी/19 ए—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अधीक्षक श्री अनन्तदेव मुखर्जी को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, उसी विभाग में, वेतन नियमानुसार 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतन मान में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कोयला प्रभाग, कलकत्ता के सहायक प्रशासनिक अधिकारी श्री बी० एम० गुहा जो छुट्टी पर हैं, के स्थान पर, तदर्थ आधार पर, आगामी आदेश होने तक, 1-6-77 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त कर रहे हैं।

एस० वी० पी० अयंगर
उप महानिदेशक (मुख्यालय)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 21 जून 1977

स० ए० 19011/40/70/स्था०ए० —राष्ट्रपति, श्री के० कुमार, उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को दिनांक 8-6-1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक उसी विभाग में स्थानापन्न क्षेत्रीय खान नियंत्रक के रूप में सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

सं० ए०/19011/21/70-स्था० एम०—राष्ट्रपति श्री बी० सी० मिश्र, उप खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो को दिनांक 6 जून 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक उसी विभाग में स्थानापन्न क्षेत्रीय खान नियंत्रक के रूप में सहर्ष नियुक्ति प्रदान करते हैं।

सं० ए०19011(90)/75-स्था० ए०—डा० ए० के० राय, स्थायी सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो को दिनांक 1 जून, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक उसी विभाग में वर्ग 'अ' के पद में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न उप अयस्क प्रसाधन अधिकारी के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० ए० 19012/91/77-स्था० ए०—श्री आर० एन० कोस्टा, स्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 7 जून, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में वर्ग 'ब' के पद में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक अनुसन्धान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सं० ए० 19012/92/77-स्था० ए०—श्री एम० सी० श्रीवास्तवा, स्थायी वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को दिनांक 7 जून, 1977 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक भारतीय खान ब्यूरो में वर्ग "ब" के पद में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक रसायनविद के रूप में पदोन्नति प्रदान की जाती है।

सुरेश चन्द
कार्यालय अध्यक्ष
भारतीय खान ब्यूरो

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय

[अनौपचारिक (प्रौढ़) शिक्षा निदेशालय]

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 1977

सं० एफ० 5-6/77 अ० (प्रौ०) शि० नि०—शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय से तबादला होने पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर श्री सत्य प्रकाश आर्य को 4-6-1977 (अपराह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 रुपए के वेतनमान में अनौपचारिक (प्रौढ़) शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली में हिन्दी अधिकारी के रूप में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त किया जाता है।

डी० एन० सक्सेना
निदेशक

राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली-1, दिनांक 24 जून 1977

स० क०. 11-14/76ए-1—श्री सुरेन्द्र सिंह रेखी, सहायक पुरालेखाधिकारी ग्रेड 1 (सामान्य) नितांत तदर्थ आधार पर

पुरालेखाधिकारी (सामान्य) (बी ग्रेड राजपत्रित) 17-6-77 से आगामी आदेश तक नियुक्त किए गए । यह तदर्थ नियुक्ति नियमित नियुक्ति के लिए किसी भी प्रकार के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करेगी और न अन्य उच्च ग्रेड में पदोन्नति हेतु पात्रता और वरिष्ठता सम्बन्धी उद्देश्य के लिए गिनी जाएगी ।

जनक प्रसाद
अभिलेख निदेशक

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

कलकत्ता-12, दिनांक 24 जून 1977

सं० एफ० 70-21/77-स्थापना/15883—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के श्री ए० के० बोस, कार्यालय अधीक्षक, को इसी विभाग में 20 जून, 1977 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक कनिष्ठ प्रशासन-अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए 650 रु०—1200 रु० के वेतन मान में नियुक्त किया जा रहा है ।

डा० टी० एन० अनन्तकृष्णन
निदेशक
भारतीय प्राणि सर्वेक्षण

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जून 1977

सं० 4/19/76-एस० एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री रूपकृष्ण भट्ट को रेडियो कश्मीर, श्रीनगर में 31 मई, 1977 से अगले आदेशों तक, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त करते हैं ।

नन्द किशोर भारद्वाज
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 28 जून, 1977

सं० 10/39/77-एस०-तीन—महानिदेशक, आकाशवाणी, श्री जे० थर्मय्या को दिनांक 21-5-77 (पूर्वाह्न) से उच्च शक्ति प्रेषित्र, आकाशवाणी, चिन्सुरा में स्थानापन्न रूप से सहायक इंजीनियर नियुक्त करते हैं ।

हरजीत सिंह
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 जून, 1977

सं० ए० 22012/1/77 प्रशासन-I—राष्ट्रपति ने केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी ग्रेड के एक स्थायी अधिकारी श्री एच० के० क्वात्रा को 6 जून, 1977 पूर्वाह्न से 45 दिनों तक या किसी नियमित अधिकारी की सेवाओं के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय सचिवालय सेवा ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया है ।

राष्ट्रपति ने श्री एच० के० क्वात्रा को उपरोक्त समय के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में उपनिदेशक (प्रशासन) के पद पर भी नियुक्त किया है ।

सं० ए० 32014/5/77 (एच० क्यू०) प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सर्वश्री वी० आर० मेनकर और सुरेन्द्र कुमार को क्रमशः 13 मई, 1977 (पूर्वाह्न) और 3 जून, 1977 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन में तकनीकी अधिकारी के पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

सूरज प्रकाश चिन्दल
उप निदेशक प्रशासन

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जून, 1977

मि० सं० 2 (11)/76-स्था० (1)—श्री एन० शिवरामकृष्णन, सहायक प्रदर्शनी अधिकारी (कोटि द्वितीय) को विस्तार निदेशालय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) में स्थानापन्न सहायक प्रदर्शनी अधिकारी (कोटि प्रथम) समूह 'बी' (राजपत्रित) के पद पर रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतन-मान में पूर्णतः तदर्थ रूप में 9 जून, 1977 से 16 जुलाई, 1977 तक पदोन्नत किया गया ।

मि० सं० 2 (11)/77-स्था० (1)—श्री पी० बी० दत्त, वरिष्ठ कलाकार को विस्तार निदेशालय, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) में स्थानापन्न सहायक प्रदर्शनी अधिकारी (दृश्य) समूह "बी" (राजपत्रित) के पद पर रुपये 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ रूप में दिनांक 17 जून, 1977 से 28 फरवरी, 1978 तक नियुक्त किया गया ।

निर्मल कुमार दत्त
प्रशासन निदेशक

ग्रामीण विकास विभाग

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 23 जून 1977

सं० फाईल 4-5 (45)/75-प्र० III—इस निदेशालय के विपणन अधिकारी श्री नत्था राम की सेवाओं को दिनांक 31 मई, 1977 (अपराह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए विदेश सेवा शर्तों पर उनके उप-निदेशक के रूप में नियुक्ति होने पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के अधीन रखा जाता है ।

सं० फाईल 4-5 (83)/77-प्र० III—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के अनुसार श्री जी० के० उपाध्याय, सहायक विपणन अधिकारी को दिनांक 9 मई, 1977 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक नई दिल्ली में रु० 650—1200 के वेतनमान में स्थानापन्न विपणन अधिकारी (वर्ग II) नियुक्त किया जाता है।

विपणन अधिकारी के रूप में नियुक्ति होने पर श्री उपाध्याय ने नई दिल्ली में दिनांक 9 मई, 1977 पूर्वाह्न में सहायक विपणन अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

दिनांक 27 जून 1977

सं० फाईल 4-6 (54)/74-प्र० III—संघ लोक आयोग के माध्यम से आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में आयात-निर्यात नियंत्रक के पद के रूप में चयन होने पर श्री एस० के० दादू, नई दिल्ली में इस निदेशालय के सहायक विपणन अधिकारी को, इस निदेशालय में दिनांक 20 जून, 1977 के पूर्वाह्न से उनके कार्य से मुक्त किया जाता है।

बी० एल० मनीहार
निदेशक, प्रशासन
कृते कृषि विपणन सलाहकार

भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र
कार्मिक प्रभाग

बम्बई, 85, दिनांक 24 जून 1977

सं० : बी०/415/एम० ई० डी०/स्थाप० 1/2354—भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र के नियंत्रक, श्रीमती रोशन बरजोर मिस्त्री; जो कि एक स्थाई सिस्टर एवं स्थानापन्न सहायक मैट्रन हैं, इसी अनुसन्धान केन्द्र में तारीख 23 मई 1977 के पूर्वाह्न से 2 जुलाई 1977 के अपराह्न तक श्रीमती टी० आर० वालसंगकर मैट्रन के स्थान पर, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है, स्थानापन्न मैट्रन नियुक्त करते हैं।

एम० के० एस० सुब्रामनियम
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग
(क्रय एवं भंडार निदेशालय)

मुम्बई-400001, दिनांक 3 जून 1977

सं० डी० पी० एस०/ए०/32011/3/76/स्था०/11226—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशक, इस निदेशालय के अस्थायी सहायक श्री करुवथिल रवीन्द्रन को, श्री के० पी० जोसफ, सहायक कार्मिक अधिकारी, जिनको प्रशासन-अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है, के स्थान पर 5 मई, 1977 (पूर्वाह्न) से 10 जून, 1977 (अपराह्न) तक सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर 650-30-740-35-880-द० रो०-40-960 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

सं० डी० पी० एस०/23/4/77/स्थापना/11191—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशक, निदेशालय के अस्थायी क्रय सहायक श्री चोवन्नूर विजयन को 16 मई, 1977 से 18 जून, 1977 तक उसी निदेशालय में श्री वी० कृष्णन, सहायक क्रय अधिकारी के स्थान पर जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई है 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक क्रय अधिकारी नियुक्त करते हैं।

बी० जी० कुलकर्णी
सहायक कार्मिक अधिकारी

मुम्बई-400 001, दिनांक 3 जून 1977

सं० डी० पी० एस०/ए०/11013/64/75/स्था०/11288—इस निदेशालय की दिनांक 2 मार्च, 1977 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशालय के निदेशक, कलकत्ता स्थित परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रान के भंडार यूनिट (क्रय एवं भंडार निदेशालय) के स्थानापन्न भंडारी श्री परारी किज़ाक्कोडन राधाकृष्णन को इस निदेशालय में तीन और महीने की अवधि के लिए, जो 31 अगस्त 1977 को समाप्त होगी, तदर्थ आधार पर सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 10 जून 1977

सं० डी० पी० एस०/ए०/32011/3/76-स्था०/11698—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशक, इस निदेशालय के अस्थायी क्रय सहायक श्री पी० एच० सावन्त को, श्री एम० के० चाको, सहायक क्रय अधिकारी, जिन्हें छुट्टी प्रदान की गई थी, के स्थान पर 26-4-1977 से 4-6-1977 तक के लिए इसी निदेशालय में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अस्थायी रूप से सहायक क्रय अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के० पी० जोसफ
प्रशासन अधिकारी

मद्रास क्षेत्रीय क्रय यूनिट

मद्रास 600 006, दिनांक 9 जून 1977

सं० एम० आर० पी० यू०/200 (15)/77-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय के स्थानापन्न भंडारी श्री बी० श्रीपदराव को 4-4-77 के पूर्वाह्न से 7-5-77 तक क्रय एवं भंडार निदेशालय के कलपक्कम स्थित केन्द्रीय मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना में तदर्थ आधार पर सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० एम० आर० पी० यू०/200 (16)/77-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय के स्थानापन्न भंडारी श्री वी० बालकृष्णन को 2 मई 1977 से 18 जून 1977 तक मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना, कलपक्कम में क्रय एवं भंडार निदेशालय के केन्द्रीय भंडार यूनिट में तदर्थ आधार पर सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० एम० आर० पी० यू०/200 (19)/77-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशक क्रय एवं भंडार निदेशालय के स्थानापन्न भंडारी श्री आर० नारायणन को 5 मई, 1977 के पूर्वाह्न से 18 जून, 1977 तक मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना, कलपक्कम में क्रय एवं भंडार निदेशालय के केन्द्रीय भंडार यूनिट में तदर्थ आधार पर सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त करते हैं।

एस० रंगाचारी,
क्रय अधिकारी

भारी पानी परियोजनाएं

बम्बई-400 008, दिनांक 24 जून 1977

सं० : भापाप/स्था०/1/सु-39/3408—भारी पानी परियोजनाओं के विशेष कार्य अधिकारी, भारी पानी परियोजना (बड़ौदा) के श्री पी० एस० सुन्दरम, अस्थायी आशुलिपिक (वरिष्ठ) को उसी परियोजना में 2 मई, 1977 से 4 जून, 1977 (अपराह्न) तक की अवधि के लिए, श्री एस० सी० ठाकुर, सहायक कार्मिक अधिकारी, जिन्हे भारी पानी परियोजना (बड़ौदा) में स्थानापन्न प्रशासन अधिकारी नियुक्त किया गया है, के स्थान पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

टी० सी० सत्यकीर्ति
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

बम्बई-400 008, दिनांक 24 जून 1977

सं० 05052/77/3433—भारी पानी परियोजनाओं के विशेष कार्य-अधिकारी, भारी पानी परियोजना (बड़ौदा) के श्री हरिकृष्ण रस्तोगी, अस्थायी, एस० ए० 'सी' को उसी परियोजना में फरवरी 1, 1977 के पूर्वाह्न से आगे आदेश होने तक के लिए अस्थायी रूप से स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता (ग्रेड एस० बी०) नियुक्त करते है।

सं० 05052/77/3434—भारी पानी परियोजनाओं के विशेष-कार्य-अधिकारी, भारी पानी परियोजना (बड़ौदा) के श्री दिगम्बर विश्वनाथ भोकरकर, अस्थायी फोरमैन को उसी परियोजना में फरवरी, 1, 1977 के पूर्वाह्न से आगे आदेश होने तक के लिए अस्थायी रूप से स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता (ग्रेड एम० बी०) नियुक्त करते हैं।

सं० 05052/77/3435—भारी पानी परियोजनाओं के विशेष-कार्य-अधिकारी, भारी पानी परियोजना (बड़ौदा) के श्री राजकुमार लाखी, अस्थायी एस० ए० 'सी' को उसी परियोजना में फरवरी 1, 1977 के पूर्वाह्न से आगे आदेश होने तक के लिए अस्थायी रूप से स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता (ग्रेड एस० बी०) नियुक्त करते है।

दिनांक 27 जून 1977

सं० 05052/77/3439—भारी पानी परियोजनाओ के विशेष-कार्य-अधिकारी, श्री कृष्ण दिरेन्द्राचार्य ननजनगुड, अस्थायी पर्यवेक्षक (वास्तु), भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन) को उसी परियोजना में फरवरी 1, 1977 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश होने तक के लिए अस्थायी रूप से स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता (ग्रेड-एस० बी०) नियुक्त करते हैं।

सं० 05000/एम०/114/3440—भारी पानी परियोजनाओं के विशेष-कार्य-अधिकारी, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के श्री ए० एम० मुत्तुस्वामी, स्थायी लेखापाल को भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन) में मई 20, 1977 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश होने तक के लिए अस्थायी रूप से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते है।

आर० सी० कोटिअनकर
प्रशासन अधिकारी

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय
(भारत मौसम विज्ञान विभाग)

नई दिल्ली-3, दिनांक 27 जून 1977

सं० ई० (1) 05826—वैधशालाओं के महानिदेशक, वैधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली में व्यावसायिक सहायक श्री एम० एल० काला को 6-6-77 से 31-8-77 तक 87 दिन की अवधि के लिए स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री काला, स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी वैधशालाओं के महानिदेशक के मुख्य कार्यालय, नई दिल्ली में ही तैनात रहेंगे।

एम० आर० एन० मणियन
मौसम विज्ञानी
कृते वैधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 1977

सं० ए० 32013/13/76-ई० एस०—राष्ट्रपति ने श्री बी० आर० शर्मा, को महानिदेशक नागर विमानन के कार्यालय, नई दिल्ली में 29 अप्रैल, 1977 (पूर्वाह्न) से अग्र आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में उपनिदेशक, वैमानिक निरीक्षण के पद पर नियुक्त किया है।

वि० त्रि० जौहरी,
सहायक निदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 20 जून 1977

सं० ए० 32014/1/77-ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने नागर विमानन विभाग के वैमानिक संचार संगठन के श्री सी० पी० गोपीनाथन, संचार सहायक को 24-4-77 (पूर्वाह्न) से श्री के० सी० नायर, सहायक संचार अधिकारी की छुट्टी रिक्ति में सहायक संचार अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है और उन्हें वैमानिक संचार स्टेशन, हैदराबाद में तैनात किया है।

पी० सी० जैन,
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, सी० एल० एस० भवन, नामपल्ली स्टेशन रोड

हैदराबाद-500001, दिनांक 7 अक्तूबर, 1976

विषय—सीमा-शुल्क नियमावली 1975 (नामों का प्रकाशन) के नियम 3 के अधीन व्यक्तियों के नामों तथा अन्य विवरणों का प्रकाशन

मुख्यालय पी० सी० सं० 21/76—निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम तथा उनके सम्बन्ध में दिए गए अन्य विवरण कृपया सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कीजिए। सीमा-शुल्क नियमावली, 1975 (नामों का प्रकाशन) नियम 3 के उपबन्धों की हैसियत से इस प्रकाशन को अनुमति प्राप्त है।

"श्री कल्याणभाई तवरचन्द शाह पुत्र श्री तवरचन्द

ग्राम-नगवागांव, जिला-उदयपुर, राजस्थान

दिनांक 30-1-76 को हैदराबाद के चतुर्थ महानगरीय मजिस्ट्रेट द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135-बी के अधीन श्री शाह दोषी सिद्ध हुए और उनको छहमास के सश्रम कारावास की सजा दी गयी। श्री के० टी० शाह के पास से 16080/रु० मूल्य की विदेशी (हाथ की) घड़ियां बरामद हुईं।

2. श्री अब्दुल सत्तार/पुत्र मूसा निवासी—डी० सं० 1-2-587/9।

दोमलगड़ा, हैदराबाद।

दिनांक 11-2-76 को हैदराबाद के छठे महानगरीय मजिस्ट्रेट द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 135-बी के अधीन श्री सत्तार दोषी सिद्ध हुए और उन पर 1000/- रु० जुर्माना किया गया तथा न्यायालय के उठने तक साधारण कारावास का दण्ड दिया गया। वे स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम की धारा 85 के अधीन भी दोषी पाये गए और उनको न्यायालय के उठने तक साधारण कारावास तथा 1000/- रु० का अर्थदण्ड या अर्थदण्ड न देने की स्थिति में छह मास के कारावास की सजा सुनायी गयी। श्री सत्तार से 90 विदेशी (हाथ की) घड़ियां, सुपर सिल्वर गिलेट ब्लेड के पन्द्रह पैकेट, गिलेट प्लैटिनम ब्लेड के दस पैकेट तथा बीस-बीस डालर मूल्य की दो स्वर्ण मुद्राएं बरामद हुईं।

3. श्री मुहम्मद अनवर/पुत्र इस्माइल, 23-2-318, मुगलपुरा, हैदराबाद। दिनांक 17-5-76 को हैदराबाद के पंचम महानगरीय मजिस्ट्रेट द्वारा सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 135-बी के अधीन श्री अनवर दोषी सिद्ध हुए और उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। अपील करने पर भी दोषी यथावत सिद्ध हुआ। किन्तु कारादण्ड घटाकर नौ मास कर दिया गया। श्री मुहम्मद अनवर से 3825/ रु० मूल्य के विदेशी कपड़े पाये गए।"

एस० के० श्रीवास्तव,
समाहर्ता

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय,

इलाहाबाद दिनांक 23 जून 1977

सं० 19/1977—मिर्जापुर मण्डल के अन्तर्गत जौनपुर में तैनात केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के स्थानापन्न अधीक्षक वर्ग (ख) श्री एस० ए० एम० रिजवी दिनांक 30-4-77 के दोपहर के बाद से सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके है।

सं० 20/1977—रामपुर मण्डल के अन्तर्गत चन्दौसी में स्थायी निरीक्षक (चयन ग्रेड) श्री के० एम० एल० माथुर ने, जो अगला आदेश होने तक के लिए स्थापना आदेश संख्या 301/1977 दिनांक 5-12-76 के अनुसार रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वर्ग (ख) के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किए गए हैं, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मण्डल, इलाहाबाद में दिनांक 23-12-76 (पूर्वाह्न) को अधीक्षक वर्ग (ख) के कार्यालय का कार्यभार सम्भाल लिया।

के० एम० दिलीपसिंह जी,
समाहर्ता

वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 24 जून 1977

सं० 16/258/76-स्थापना I—अध्यक्ष वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून श्री होरी लाल को वन अनुसन्धान शाला, बंगलूर में दिनांक 16 मई, 1977 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सहर्ष अनुसन्धान अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० 16/110 ए/77-स्थापना-I—श्री पी० एन० निगम, अनुसन्धान अधिकारी, वन अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून का दिनांक 30 मई 1977 को देहावसान हो गया।

हीरा बल्लभ जोशी,
कुल सचिव,
वन अनुसंधान स्थान एवं महाविद्यालय

पोतवहन और परिवहन मन्त्रालय

(नौवहन महानिदेशालय)

बम्बई-400001, दिनांक 25 जून, 1977

सं० 25-ए० डी० एम० एन० (2)/77—पोतवहन महानिदेशक संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर नौवहन महानिदेशालय, के स्थाई अधीक्षक श्री वाई० एम० अग्निहोत्री, को 12 मई, 1977 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक अस्थाई तौर पर फ्रेट इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी, कांडला, के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० एम० ओचाणी,
नौवहन उप महानिदेशक

दक्षिण पूर्व रेलवे

कार्यालय, मुख्य कार्मिक अधिकारी

गार्डेनरीच, दिनांक 17 जून 1977

सं० पी०/जी०/14/300 एफ०—इस रेलवे के सामान्य प्रशासन-शाखा के श्रेणी II के निम्नलिखित स्थानापन्न अधिकारियों का पुष्टीकरण उक्त पद पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से किया जा रहा है :—

क्रम० सं०	नाम	श्रेणी II के पद पर पुष्टि	पुष्टीकरण की तारीख	नियत किए गए विभाग
	श्री			
1.	ए० के० दास	सहायक उप महाप्रबन्धक	3-3-76	सिविल इंजीनियरी
2.	श्री एम० एस० आर० मूर्ति	सहायक सचिव, महाप्रबन्धक	3-3-76	सिविल इंजीनियरी

एम० एस० गुजराल,
महाप्रबन्धक

कार्यालय, महाप्रबन्धक

कलकत्ता-700043, दिनांक 22 जून 1977

सं० पी०/सी०/14/300 एफ०—सामान्य प्रशासन-शाखा के, श्रेणी II के अधिकारी श्री पी० यू० सी० चौधरी का पुष्टीकरण सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी (श्रेणी-II) के रूप में दिनांक 30-8-1974 से किया जा रहा है और इनका नियतन परिवहन (यातायात) एवं वाणिज्य विभाग में किया जा रहा है।

एम० मेनेजिज,
महाप्रबन्धक

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

महाप्रबन्धक का कार्यालय

(कार्मिक शाखा)

पांडु, दिनांक 16 जून 1977

सं० ई/55/111/96 (ओ)—निम्नलिखित अधिकारियों को द्वितीय श्रेणी सेवा में सहायक विद्युत इंजीनियर के रूप में उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से स्थायी किया जाता है :—

क्रम सं०	नाम	जिस तारीख से स्थायी किया गया
1.	श्री बी० बी० सरकार	5-5 76
2.	श्री ए० वी० सुन्दरम	1-12-76

दिनांक 23 जून 1977

सं० ई/55/111/92 भाग-II (ओ)—श्री डी० सिंह को, जिन्हें भारतीय रेलों के उच्च राजस्व स्थापना के सिगनल इंजीनियरी विभाग में परिवीक्षाधीन नियुक्त किया गया था, अवर वेतनमान में दिनांक 8-2-77 से स्थायी किया जाता है।

जी० एच० केसवानी,
महाप्रबन्धक

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

कार्यालय कल्याण आयुक्त, अभ्रक खान श्रम हितकारी कोष, राजस्थान

भीलवाड़ा, दिनांक 1 जून 1977

सं० 1/2/77-स्थापन-I—महालेखाकार राजस्थान, जयपुर के कार्यालय के अनुभाग अधिकारी श्री रतन लाल कोठारी की लेखाधिकारी, अभ्रक खान श्रम हितकारी कोष, राजस्थान, भीलवाड़ा के पद पर नियुक्ति होने के फलस्वरूप श्री कोठारी ने उपर्युक्त लेखाधिकारी के पद का कार्यभार दिनांक 10 मई, 1977 (पूर्वाह्न) से संभाल लिया है।

नन्द लाल शर्मा,
कल्याण आयुक्त

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनीयों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 डेबोनेयर लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद, दिनांक 16 जून 1977

सं० 643/560 (3)/77—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर डेबोनेयर

लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ओम प्रकाश जैन
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद

कम्पनी अधिनियम 1956 और "मलहमगल फन्डस (प्राइवेट), लिमिटेड" के विषय में

पांडिचेरी, दिनांक 25 जून 1977

सं० 99/76—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 उपधारा (5) की अनुसार एक्ट द्वारा दी जाती है कि "मलहमगल फन्डस (प्राइवेट) लिमिटेड" का नाम आज रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कम्पनी भंग हो गई है।

सीताराम
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
पांडिचेरी

कार्यालय आयकर आयुक्त, दिल्ली-2

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 1977

आयकर

एफ० सं० जुरि/दिल्ली/2/77-78/15861—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) की धारा 123 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर पहले के सभी आदेशों में संशोधन करते हुए, आयकर आयुक्त, दिल्ली-2, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम-1, में निर्दिष्ट निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उसी अनुसूची के कालम-2 में निर्दिष्ट डिस्ट्रिक्ट/सर्किलों के आयकर अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले क्षेत्रों या व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों, आय या आय के वर्गों या मामलों या मामलों के वर्गों के बारे में निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त के सभी कार्य करेंगे :—

अनुसूची

रेंज	आयकर डिस्ट्रिक्ट/सर्किल
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-2 (बी) नई दिल्ली।	1. डिस्ट्रिक्ट-6-नई दिल्ली
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-2-सी०-व-सम्पदा शुल्क, नई दिल्ली।	1. कम्पनी सर्किल 6, 17, 18, 21 व 24, नई दिल्ली। 2. सम्पदा शुल्क व आयकर सर्किल 3. अतिरिक्त संपदा शुल्क व आयकर सर्किल, नई दिल्ली। 4. ट्रस्ट सर्किल-3, नई दिल्ली।
निरीक्षीय सहायक आयकर आयुक्त रेंज-2-डी, नई दिल्ली।	1. कम्पनी सर्किल-22, नई दिल्ली। 2. ठेकेदार सर्किल, नई दिल्ली। 3. वकील सर्किल, 1 व 2, नई दिल्ली। 4. ट्रस्ट सर्किल-1 व 2, नई दिल्ली

यह अधिसूचना से लागू होगी।

जगदीश चन्द
आयकर आयुक्त, दिल्ली-2

प्ररूप आई० टी० एस० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

एरणाकुलम, दिनांक 27 जून 1977

निर्देश सं० एल० सी० 143/77-78—यतः मुझे सी० पी० ए० वासुदेवन,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के० अनुसार है, जो चेनगपडेरि विलेज तिरूवनन्तपुरम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चाले में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-1-1977।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती लकसिम अम्माल (अन्तरक)

(2) डा० पी० नीरुकन्टन (अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

8 Cents of land with buildings in Sy. No. 9/64 of Chengazhassasi village in Trivandrum.

सी० पी० ए० वासुदेवन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 27-6-197
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1977

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 77-78/871—अतः, मुझे रा० कु० बाली
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० भू-भाग है जो देवास में स्थित है (और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय देवास में रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-11-76
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री महाराज मसावत राव पवार, दुर्गा बाग, देवास। (कानेष्ठ) (अन्तरक)

2. मेसर्स प्रेस सिंडीकेट, -11, तुकोगंज मेनरोड इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भू-भाग क्षेत्रफल 2013 एकड़ सर्वे नं० 43, स्थित दुर्गाबाग पैलेस, देवास।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज भोपाल

तारीख : 1-7-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 1977

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्सी/भोपाल/77-78/872—अतः, मुझे रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जूनिन बिल्डिंग है, जो भोपाल में स्थित है (और इससे पबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्रीकृए धिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-11-76

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जी० एन० पारथासार्थी पुत्र श्री सी० नटराजन निवासी ई 1/165, प्राइवेट सेक्टर अरेरी कालोनी, भोपाल—(अन्तरक)

2. श्रीमती चन्द्रकान्ता शर्मा पतिवत मेसर्स भुनिवर्सल इन्डस्ट्रीज, 2-3, इन्डस्ट्रीयल स्टेट, गोविन्द पुरा, भोपाल/(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि व बिल्डिंग स्थित ई० 1/165, प्राइवेट सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल।

तारीख 1-7-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 1 जुलाई 1977

निर्देश सं० 34भी/अर्जन—अतः मुझे अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं-मकान नं० 100/13, है तथा जो राजन आश्रम, गन्नेवाली गली गौतम बुद्ध मार्ग लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22-11-1976।

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डा० मिसेज इलजाबेथ जोजफ (अन्तरक)

2. श्री विजेन्द्र सिंह, देवेन्द्र सिंह, श्रीमती बिमला सिंह, सरोज दहिया आशा दहिया (अन्तरिती)

3. डा० मिसेज इलिजाबेथ जोसफ (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मकान 100/13, राजन आश्रम गन्ने वाली गली, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ।

अमर सिंह बिसेन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 1-7-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज शिलोंग

शिलोंग दिनांक 25 जून 1977

निर्देश सं० ए-132/77-78/ टी० एम० के० —अत: मुझे एगवार्ट सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० डाग सं० 337 339 (पुरानी) 442, 425 और 505, नयी और पि० पि० सं० 28 (पुरानी) 73 और 75 नयी है तथा जो माकुम जांशन माकुम डिब्रुगड़, आसाम, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय डिब्रुगड़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1-12-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री डोफन लुंग (1) डो काम चुंग (3) मिसेस मार्गेट चेउ मिंगुसपल्ली श्री ह्रो फुनलुं माकुम जांशन (अन्तरक)

2. श्रीमती बुलबुल भट्टाचार्जी, सपुत्री श्री विमल कुमार भट्टाचार्जी माकुम जंशन रोड, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन के नापतोल 4 बिघा, 0 कठा और 19 लेछा और उसके साथ एक चांग बांगलो, घर और सोड हैं जो माकुम जांशन शहर, डिब्रगड़ जिला, आसाम में स्थित हैं।

एगवर्ट सिंह
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, शिलोंग

तारीख 25-6-1977
मोहर :

प्ररुप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निर्देश सं० सी० एच० डी०/48/76-77—अतः मुझे ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सी० ओ० नं० 61 सैक्टर 30-सी० है तथा जो चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरर्त्ता अधिकारी के कार्यालय चन्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1976।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखत व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री प्राणनाथ सेखरी पुत्र लाला ज्ञान चन्द सेखरी निवासी मकान नं० 1239, सैक्टर 22-बी, चन्डीगढ़। (अन्तरक)

2. श्री रतन चन्द पुत्र पंडित राम लाल मारफत ऐस० सी० एफ नं० 61 सैक्टर 30-सी०, चन्डीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस० सी० ओ० नं० 61, सैक्टर 30-सी०, चन्डीगढ़

ई० के० कोशी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निर्देश सं० सी० एच० डी० /54/76-77—अतः मुझे ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० एस० सी० ओ० नम्बर 181, 182, सैक्टर 17-सी० चन्डीगढ़ है तथा जो चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1976

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सर्व श्री (1) देसराज जुनजा पुत्र मूल चन्द जुनेजा।
(2) नरेश कुमार जुनेजा
(3) अजय कुमार जुनेजा पुत्र श्री देश राज जुनेजा।
(4) श्रीमती सरस्वति पत्नि श्री देस राज जुनेजा।
(5) श्रीमती सुशील पत्नि श्री नरेश कुमार जुनेजा।

निवासी मकान नं० 592, सैक्टर 10-डी०, चन्डीगढ़ (अन्तरक)

2. सर्व श्री
(2) दर्शन सिंह आहुजा पुत्र श्री भगवान सिंह आहुजा।
(3) कृरिन्दर सिंह आहुजा।
(4) कंवलजीत सिंह आहुजा नाबासिग पुत्र श्री दर्शन सिंह आहुजा उनके पिता तथा भौतिक संरक्षक श्री दर्शन सिंह आहुजा द्वारा। निवासी मकान नं० 56, सैक्टर 8 ए, चन्डीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एस० सी० ओ० नं० 181-182, सैक्टर 17-सी० चन्डीगढ़। (सम्पत्ती जैसे की रजिस्ट्रीकृत अधिकारी चन्डीगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 497 अक्तूबर 1976 में लिखा है।)

ई० के० कोशी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निवेश सं० सी० एच० डी० 55/76-77—अतः मुझे ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० 25 70, सैक्टर 22-सी० चन्डीगढ़ है तथा जो चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 66) के अधीन, तारीख अक्तूबर 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरदेव सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी मकान नं० 2005, सैक्टर 23-सी० चन्डीगढ़ (अन्तरक)

2, सर्वश्री

(i) करम चन्द

(ii) अवतार सिंह (पुत्र श्री हजारी सिंह निवासी ग्राम कैलों तहसील खरड़ जिला रोपड़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन के अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 2570, सैक्टर 22-सी, चन्डीगढ़

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय चन्डीगढ़ में रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 526 अक्तूबर 1976 में लिखा है।

ई० के० कोशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज रोहतक

तारीख : 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निदेश सं० बी० जी० आर० 13/76-77—अतः मुझे ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फेक्टरी बिल्डिंग जो कि प्लाट नं० 7- ए० एन० एच० 1 एन० आई० टी० फरीदाबाद में स्थित है। तथा जो फरीदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, बल्लबगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख अक्तूबर 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मै० सन्त राम भाटिया (एच० यू० एफ० उसके कर्त्ता श्री सन्त राम भाटिया द्वारा मारफत भाटिया इलैक्ट्रीकलज प्राईवेट लिमिटेड मार्केट नं० 1, एन० आई० टी० फरीदाबाद। (अन्तरक)

2. मै० भाटिया इलैक्ट्रीकलज प्राईवेट लिमिटेड मार्केट नं० 1, एन० आई० टी० फरीदाबाद। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फैक्ट्री बिल्डिंग जो० कि प्लाट नं० 7 ए ऐन० एच० 1 एन० आई० टी० फरीदाबद में स्थित है।

(सम्पति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी बल्लबगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्रीकर्त्ता विलेख नं० 3585 अक्तूबर 1976 में लिखा है।)

ई० के० कोशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज रोहतक

तारीख : 28 जून 1977
मोहर :

रूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निर्देश सं० सी० एच० डी० 62/76-77—अतः मुझे ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० फैक्ट्री बिल्डिंग नं० 17, इन्डस्ट्रीयल ऐरिया चन्डीगढ़ है तथा जो इन्डस्ट्रीयल ऐरिया चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अवतार सिंह पुत्र राजाराम, निवासी 17, इन्डस्ट्रीयल ऐरिया चन्डीगढ़ (अन्तरक)

2. सर्व श्री

(i) वधावा सिंह सोढ़ी पुत्र श्री सौदागर सिंह,
(ii) अजीत सिंह }
(iii) सर्वण सिंह। } पुत्र श्री वधावा सिंह निवासी 8, टिम्बर
(iv) सतपाल सिंह } मार्केट चन्डीगढ़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 17 पर बनी फैक्ट्री बिल्डिंग जो कि इन्डस्ट्रीयल ऐरिया चन्डीगढ़ में स्थित है।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चन्डीगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 625 नवम्बर 1976 में लिखा है।)

ई० के० कोशी,
सक्षम प्राधिकारी;
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज रोहतक।

तारीख : 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निदेश सं० के० एन० एल०/32/76-77—अतः मुझे ई० के० कोशी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० रेलवे रोड पर स्थित भूमि का एक प्लाट है तथा जो रेलवे रोड करनाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, करनाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269 ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मदन लाल पुत्र श्री बनारसीदास अग्रवाल निवासी मौपन० 3 नई मण्डी, करनाल। (अन्तरक)
2. मै० लिबरटी फुटवीयर कम्पनी रेलवे रोड करनाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रेलवे रोड करनाल पर स्थित 553 वर्ग गज भूमि का एक प्लाट।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्रीकर्त्ता विलेख नं० 11701 नवम्बर 1976 में लिखा है।)

ई० के० कोशी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज रोहतक,

तारीख : 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निर्देश सं० के० एन० एल०/33/76-77—अतः मुझे ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० रेलवे रोड पर स्थित भूमि का एक प्लाट है तथा रेलवे रोड करनाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, करनाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख नवम्बर 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री बनारसीदास अग्रवाल निवासी शौप नं० 3 नई मण्डी, करनाल) (अन्तरक)

2. मै० लिबरटी फुटवीयर कम्पनी, रेलवे रोड, करनाल। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रेलवे रोड करनाल पर स्थित 622 वर्गगज भूमि का प्लाट।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 11702 नवम्बर में लिखा है।)

ई० के० कोशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निर्देश सं० के० एन० एस०/38/76-77—अतः मुझे ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० रेलवे रोड पर स्थित भूमि का प्लाट है तथा जो रेलवे रोड करनाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, करनाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख दिसम्बर 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री बनारसीदास अग्रवाल निवासी शौप नं० 3, नई मण्डी करनाल (अन्तरक)

2. मै० लिबरटी फुटवीयर कम्पनी, रेलवे रोड़, करनाल। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रेलवे रोड़ करनाल पर स्थित 553 वर्गगज भूमि का प्लाट।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 12154 दिसम्बर 1976 में लिखा है।

ई० के० कोशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख : 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निर्देश सं० सी० एच० डी०/69-77—अतः मुझे, ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 2108, सैक्टर 35-सी० चन्डीगढ़। है तथा जो सैक्टर 35-सी चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख दिसम्बर 1976।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमति पुष्पा कुमारी विधवा कैप्टेन रमेश चन्द्र, निवासी वी० पी० ओ० सैदो तहसील तथा जिला कांगड़ा (हि० प्र०) (अन्तरक)

2. श्री रमेश सहगल आई० पी० एस० पुत्र श्री शिवदयाल निवासी मकान नं० 545 सैक्टर 10 चन्डीगढ़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 2108 सैक्टर 35-सी०, चन्डीगढ़ में स्थित। 'संपत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चन्डीगढ़ के कार्यालय में रजस्ट्रीकृत विलेख नं० 679 दिसम्बर 1976 में लिखा है।)

ई० के० कोशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 28 जून 1977

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 29 जून 1977

निर्देश सं० सी० एच० डी०/79/76-77—अतः मुझे, ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एम० सी० एफ० नं० 9, सैक्टर 27-सी० चन्डीगढ़ है तथा जो सैक्टर 27-सी, चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय चन्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी 1977। को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री बी० एस० साहनी पुत्र श्री डी० आर० साहनी निवासी खुशनिकेतन सिविल लाईनज लुधियाना (अन्तरक)

2. श्री राम सरन दास पुत्र श्री दल चन्द

(ii) श्रीमति प्रोमिल्ला भाटेजा पत्नि श्री राम सरन दास निवासी मकान नं० 212 सैक्टर 18 ए चन्डीगढ़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ए० सी० एफ० नं० 9 सैक्टर 27 सी०, चन्डीगढ़।

(संम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चन्डीगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1375 फरवरी 1977 में लिखा है।

ई० के० कोशी,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 28 जून 1977

निर्देश सं० सी० एच० डी० /82/76-77—अतः मुझे ई० के० कोशी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1302 सैक्टर 34 सी०, चन्डीगढ़। है तथा जो सैक्टर 34-सी०, चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, चन्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी 1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमति बिद्या कौर पत्नि सर्वश्री शिव दर्शन सिंह, मारफत श्री रतन सिंह ऐडवोकेट, मकान नं० 61, सैक्टर 8 बी, चन्डीगढ़। (अन्तरक)

2. श्री नगिन्दर सिंह पुत्र श्री करतार सिंह, मकान नं० 3063, सैक्टर 20-डी० चन्डीगढ़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1302, सैक्टर 34-सी० चन्डीगढ़।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चन्डीगढ़ कार्यालय के रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 1458 फरवरी 1977 में लिखा है।

ई० के० कोशी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज रोहतक

तारीख 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक दिनांक 28 जून 1977

निर्देश सं० सी० एच० डी०/84/76-77—अतः मुझे, कोशी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० प्लाट नं० 1289, सैक्टर 34 सी० चन्डीगढ़ है तथा जो सैक्टर 34-सी०, चन्डीगढ़ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय चन्डीगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख फरवरी 1977 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में यथास्तथिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण, में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमति सरोज सचदेवा, विधवा श्री रमेश सचदेवा निवासी बी०-4/272 मोहल्ला बन्दियां, लुधियाना (अन्तरक)

2. श्री शोरी लाल कुमार पुत्र श्री करतारचन्द निवासी मकान नं० 3415 सैक्टर 27-डी० चन्डीगढ़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रिहायशी प्लाट नं० 1289 सैक्टर 34—सी०, चन्डीगढ़।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी चन्डीगढ़ के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1551 फरवरी 1977 में लिखा है।

ई० के० कोशी,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 28 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 जून 1977

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-I 1209 (576)/1-1/76-77—यतः मुझे, एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फायनल प्लाट नं० 233, सब प्लाट नं० 16, टी० पी० एस० 20, है, जो कोचरब एच० एल० कालेज आफ कोमर्स के पास अहमदाबाद, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1908 का 16) के अधीन 16-12-1976 को पूर्वोक्त से सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जस भाई उमेदभाई पटेल नवरंगपुरा, अहमदाबाद

(अन्तरक)

(2) श्री रामजीभाई तपसीराम बजाज, कापड़ मारकेट के पास, अहमदाबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक दो मंजिला मकान जो 250 वर्ग गज भूमि पर स्थित है तथा जिसका एफ० पी० नं० 233, सब प्लाट नं० 16 टी० पी० एस० नं० 20 है तथा जो एच० एल० कोलेज ओफ कामर्स के पास कोचरब नवरंगपुरा, अहमदाबाद में स्थित है । तथा जिसका पूर्ण वर्णन 16-12-1976 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 19194 में दिया गया है ।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-, अहमदाबाद

तारीख 26-6-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 जून 1977

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1209(577) 1-1/76177—यत: मुझे, एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फायनल प्लाट नं० 233, सब प्लाट नं० 16, टी० पी० एस० नं० 20, है, जो कोचख, एच० एल० कोलेज आफ कोमर्स के पास, अहमदाबाद, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1908 का 16) के अधीन 16-12-1976 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जशभाई उमेदभाई पेटल, नवरंग पुरा, अहमदाबाद । (अन्तरक)

(2) ईश्वरचंद मुरारीलाल गुप्ता, कालूपुर अहमदाबाद । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ए० दो मंजिला मकान जो 353 वर्ग गज भूमि पर स्थित है तथा जिसका एफ० पी० नं०, 233, सब प्लाट नं० 16, टी० पी० एस० नं० 20, कोचख, अहमादाबद । तथा जिसका पूर्ण वर्णन 16-12-1976 वाले बिक्री दस्तावेज के 1093/76 में दिया गया है ।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

तारीख 25-6-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एम० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 25 जून 1977

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1275 (578))/16-6/76-77—यतः मुझे, एस० सी० परीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 405-बी० जो है, डा० याज्ञिक रोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961 (1908 का 16) के अधीन 20-1-77।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री लाभशंकर वजेशंकर त्रिवेदी, "समीर" डॉ० याज्ञिक रोड, राजकोट। (अन्तरक)

(2) श्री जयसुखलाल केशवलाल बख्शाड़ा 29, करन परा, राजकोट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

"जसदिन" नाम की अचल सम्पति जो 305-5-0 वर्ग गज भूमि के सहित है, तथा जिसका सर्वे नं० 405 बी पैकी, सनद फार्म "ए" है, तथा जो डां० याज्ञिक रोड पर राजकोट में स्थित है, तथा जिसका पूण वरणन, राजकोट की रजिस्ट्री आंफिस के जनवरी 77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 149 में दिया गया है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, एरणाकुलम।

तारीख : 25-6-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अहमदाबाद,

अहमदाबाद, दिनांक 29 जून 1977

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1269 (579)/11-1/76-77——यतः मुझे, एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 371/1, मजेवारी गेट के बाहर, है, जो जूनागढ़ राजकोट रोड, जूनागढ़, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), जिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, जूनागढ़ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1961(1908 का 16) के अधीन 3-2-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) सर्वश्री रमणीकलाल पारेख तथा अन्य महालक्ष्मी मंदिर के सामने, जूनागढ़ (अन्तरक)

(2) श्री प्रवीणचंद्र वल्लभदास शाह तथा अन्य: रहेठाण फल्या, जूनागढ़ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 19602 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 371/1 है तथा मजवाडी गेट के बाहर, जूनागड राजकोट हाइवे रोड पर जूनागढ़ में स्थित है ।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद ।

तारीख : 29-6-1977

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद
अहमदाबाद, दिनांक 29 जून 1977

निर्देश सं० ए० सी० क्यू० 23-I-1273 (580)/11-6-76-77—यतः मुझे, एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 10, वार्ड नं० 2 है, जो राजमहल रोड में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय गुन्टूर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 31-10-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम, की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भगवानदास मंगलजी राजा, 244 कालबादेवी रोड़, बम्बई (अन्तरक)

(2) अमर्तलाल वल्लभदास, राजमहल रोड़ बेरावल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के संबंध में यदि कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक तीन मंजिल वाली अचल सम्पति जो 1000 वर्ग गज भूमि पर स्थित है तथा जिसका सर्वे नं० 10, वार्ड नं० 2, है तथा जो राजमहल रोड़ पर, बेरावल में स्थित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

तारीख : 29-6-1977

मोहर :

5—156GI/77

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 29 जून 1977

निर्देश सं० ए सी० क्यू० 23-1-1232 (581)/5-2/76-77—अतः मुझे एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 680/2, प्लाट नं० 1215, है, जो पल्लाद रोड, बोटाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय बोटाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1961 (1908 का 16) के अधीन 11-11-1976 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री नटवरलाल गोविंदभाई तथा, हवलदार की शेरी, बोटाद (अन्तरक)

(2) श्री मुर्लीधर को० ओप० हाऊसिंग सोसायटी की ओर से श्री मगनलाल ऊकाभाई पटल, बोटाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक खुली जमीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 7045 वर्ग गज है तथा जिसका सर्वे नं० 680/2, प्लाट नं० 1215 है तथा को जल्पाद रोड़, बोटाद, डिस्ट्रीक्ट भावनागर में स्थित है।

एस० सी० परीख,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद।

तारीख : 29-6-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दि ांक 22 जून, 1977

निर्देश सं० 578/अर्चन/गा० बाद/76-77—अतः मुझे, आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित (है और इसी उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजिबाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 16-11-1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जयप्रकाश, ईश्वर, गजराज पुत्रगण रतन लाल निवासी ग्रा सारा डा० खास परगना जलालाबाद त० जिला गाजियाबाद (अन्तरक)

2. श्री रमेश चन्द व ओम व बलेवर पुत्र गण (दुलीचन्द त्यागी नि० ग्राम सारा डा० खास प० जलालाबाद त० जिला गाजियाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पति खसरा नं० 417, 5 बीघे उन्नीस विस्से नौविस्वासी ग्राम सारा परगना जलालाबाद तहसील गाजियाबाद में स्थित है तथा 20,612) रुपये में हस्तान्तरित हुई है।

आर० पी० भार्गव,
सक्षम प्राधिकारी;
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेज, कानपुर।

तारीख : 22-6-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 जून 1977

निर्देश सं० 2 गाजियाबाद/अर्जन/76-77/1499—अतः मुझे आर० पी० भार्गव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन, तारीख 25/11/76
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मुस्ताक पुत्र श्री मीरदाद नि० ग्राम त्योडी सातबिस्वा डा० त्योडीतरह निस्ता परगना जलालाबाद त० गाजियाबाद जिला मेरठ। (अन्तरक)

2. श्री आबीद हसन व श्री अब्दुल वाहिद पुत्र गण श्री मोहम्मद याकूब नि० त्योडी सात विस्वा डा० त्योडी तेरह विस्वा परगना जलालाबाद त० गाजियाबाद जिला मेरठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति संख्या 226 में से 5 बीघा जो कि ग्राम त्योडी सात विस्वा परगना जलालाबाद त० गाजियाबाद जिला मेरठ में स्थित है जो कि 39,500 रुपया में हस्तान्तरित की गयी है।

पी० आर० भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज कानपुर

दिनांक 22 जून 1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 जून 1977

निर्देश सं० 4/गाजियाबाद/76-77/1500—अतः मुझे आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सूची के अनुसार है तथा जो सूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-11-1976 ।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कृष्णावती पत्नी श्री मंगतनिवासी ग्राम खिम्बौड़ा डा० खास प० जलालाबाद त० गाजियाबाद जिला मेरठ । (अन्तरक)

2. श्री गंगा दास व श्री हरजसगर्मा पुत्र गण श्री शेरसिंह नि० ग्राम नातौर डा० धौलड़ी प० जलालाबाद त० गाजियाबाद जिला मेरठ । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जो कि भूमि चक नं० 67 जिसका क्षेत्रफल बाहर बीघा सत्तरह बिस्वा तेरह बिस्वासी ग्राम मन्डौला प० लोनी त० गाजियाबाद जिला मेरठ में स्थित है और जो कि 84000/ रु० में हस्तान्तरित की गई है ।

आर० पी० भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण);
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 22-6-1977
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 25 जून 1977

निर्देश सं० 518/मेरठ/अर्जन/76-77/1442—अतः मुझे आर० पी० भार्गवा,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सूची के अनुसार है तथा जो सूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 15-10-1976 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री चरन दास पुत्र गन्डा राम नि० देव पुरी मेरठ मुखता राम श्री राम सरन पुत्र सगवा सिंह नि ढाढर वाड़ा मेरठ कृष्ण रानी पत्नी बलदेव राज नि० टोपछी वाड़ा मेरठ।
(अन्तरक)

2. श्री सोहन लाल पुत्र चरन दास हाड़िया नि० मुजफ्फर नगर श्रीमती कौशल्या पत्नी राम दास नि० बेरि पुरा मुजफ्फर नगर स्वर्ण लता पत्नी भरत भूषण हरी सिंह नलवा स्ट्रीट देहली और श्रीमती सुमन पत्नी एन० आर० सचदेवा बाग पत मेरठ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति खसरा नं० 1580 जिस की एरिया 1 बीघा 13 बिस्वा जोकि मधुवन कालोनी बागपत रोड मेरठ जिसका हस्तातंरण 1,35,000 में हुआ है।

आर० पी० भार्गवा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 25-6-1977

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 28 जून 1977

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1 एस० आर० 3/1168/अक्यू०-2/(5)/76-77—अतः मुझे जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एस०-185 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18-10-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री नवराज क्वात्रा पुत्र स० प्रीतम सिंह क्वात्रा निवासी के-25 हौज खास इन्कलेव नई दिल्ली और श्रीमती कान्दला कंवल निवासी के-25 हौज खास नई दिल्ली द्वारा अटारनी नवराज क्वात्रा (अन्तरक)

2. श्रीमति विद्यावती साहनी पत्नी स्व० श्री रघवीर साहनी निवासी एस०-185 ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्रीहोल्ड प्लाट पर बनी जायदाद नं० एस०-185 जिसका क्षेत्रफल 140 वर्गगज है जो कि ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली में है।

जोगिन्दर सिंह
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख 28-6-77
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1977

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० एफ० 9/7/76-प० I (ख)—दिनांक 9 अक्तूबर, 1976 को भारत के राजपत्र के भाग III खण्ड I में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग के नोटिस संख्या 9/7/76-प० I (ख) दिनांक 9 अक्तूबर, 1976 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे:—

(i) नोटिस का पैरा 1 इस प्रकार पढ़ा जाए :—

"नियम 3 (क) में ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष से 50 वर्ष तक बढ़ाते हुए भारत के राजपत्र दिनांक 16 जुलाई, 1977 में प्रकाशित गृह मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना द्वारा यथा संशोधित भारत के राजपत्र दिनांक 9 अक्तूबर, 1976 में मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार नीचे पैरा 2 में उल्लिखित सेवाओं के अनुभाग अधिकारी ग्रेड और स्टेनोग्राफर ग्रेड I / ग्रेड ख की चयन सूचियों में और लोगों को सम्मिलित करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा **बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, नागपुर,** और विदेश स्थित कुछ चुने हुए भारतीय मिशनों में 24 नवम्बर, 1977 से एक सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा ली जाएगी।

आयोग, यदि चाहे तो परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा उसके प्रारंभ होने की तारीख में परिवर्तन कर सकता है। परीक्षा में प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों को परीक्षा की समय सारणी तथा स्थान अथवा स्थानों के बारे में सूचित किया जाएगा (देखिए अनुबंध II पैरा 9)।"

(ii) नोटिस के पैरा 3 के नीचे **ध्यान दें** में 9 वीं पंक्ति में आए हुए" 31 अक्तूबर, 1977" शब्दों और अंकों के स्थान पर " 15 जून, 1978 " शब्द और अंक होंगे ।

(iii) नोटिस के पैरा 5 के नीचे निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ दिया जाएगा।

"जिन उम्मीदवारों की आयु 45 वर्ष से ऊपर है, पर 50 वर्ष से कम है और जो कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना सं० 5/38/76-सी० एस० (I) दिनांक 16 जुलाई, 1977 द्वारा संशोधित सम्मिलित सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 1977 के नियमों के अनुसार पात्र हो गए हैं, उनके आवेदन-पत्र 22 अगस्त, 1977 (विदेश स्थित या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वालों के लिए 5 सितम्बर, 1977) तक स्वीकार कर लिए जाएंगे ।"

"**ध्यान दें** 1 :—1-1-1977 को 45 वर्ष तक की आयु वाले जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन-पत्र भेज दिए हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।"

"**ध्यान दें** 2 :—1-1-1977 को 45 वर्ष तक की आयु वाले उम्मीदवारों से नए आवेदन-पत्र स्वीकार **नहीं** किए जाएंगे ।"

(iv) नोटिस के अनुबंध II के पैरा 2 (II) के नीचे उप-पैरा 3 के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा।

"बशर्ते कि उम्मीदवार कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 5/38/76-सी० एस० (I) दिनांक 16 जुलाई, 1977 के अनुसार पात्र हो गया है और जो विदेश में या अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप में रह रहा है। इस संबंध में आयोग यदि चाहे तो उससे इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है कि वह 22 अगस्त, 1977 से पहले की किसी तारीख से विदेश में या अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप में रह रहा था।"

(v) नोटिस के अनुबंध II के पैरा 3 के नीचे नोट की पंक्ति 12 में आए हुए "सितम्बर, 1977" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर "मई, 1978" शब्द तथा अंक होंगे ।

आर० एस० गोयल, उप-सचिव,
संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 31st May 1977

No. A. 32013/3/76-Admn.I.—In continuation of this office notification of even number dated 7.5.77 the President is pleased to appoint Shri M. S. Thanvi, an officer of the Indian Revenue Service (Income Tax) as Deputy Secretary in the Office of the Union Public Service Commission for a further period from 9.5.1977 to 30.6.77 or until further orders, whichever is earlier.

The 7th June 1977

No. A. 32013/1/76-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri Anilendu Gupta, a peramanent officer of the Grade I of the CSS cadre of the Union Public Service Commission to officiate in the selection grade of the service as Deupty Secretary for the period 16.5.1977 to 30.6.1977 or until further order, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.

New Delhi-110011, the 31st May 1977

No. A. 32014/1/77-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri K. Sundaram, permanent Personal Assistant (Grade C of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission, to officiate as Senior Personal Assistant (Grade B of CSSS) in the same cadre on a purely temporary and *ad-hoc* basis for a period of 68 days with effect from 25.5.77 to 31.7.1977 or until further orders, whichever is earlier.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.
(Incharge of Administration)

New Delhi-110011, the 22nd June 1977

No. A. 11013/2/74-Admn. II.—In continuation of the Union Public Service Commission notification of even number dated 25-3-1977, the Adviser, Union Public Service Commission hereby appoints the following permanent Section Officers/Assistants of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission to officiate on an *ad-hoc* basis as Section Officer (Spl.) in the Commission's office for a further period of two months with effect from 1-6-1977 or until further orders, whichever is earlier:—

S. No.	Name	Post held in CSS cadre
1.	Shri B. S. Jagpota	Section Officer
2.	Shri R. N. Khurana	Section Officer
3.	Shri S. Srinivasan	Section Officer
4.	Shri S. K. Arora	Assistant
5.	Shri G. V. Mathur	Assistant

2. The appointment of the aforesaid officers as Section Officers (Special) will be on deputation and their pay will be regulated in accordance with the provisions contained in the Ministry of Finance O. M. No. F. 10 (24)-E. III/60 dated 4-5-61, as amended from time to time.

P. N. MUKHERJEE
Under Secy.
for Advisor

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 23rd June 1977

No. O-II-15/74-ESTT/PERS-IV.—The President is pleased to appoint Shri S. M. Ghosh, an officer of the Indian Police Service of Bihar Cadre, presently on deputation to the C.R.P.F. as I.G.P., to the post of Director General, CRPF.

Shri Ghosh, handed over charge of the post of IGP S/II, CRPF, at Delhi on the forenoon of Ist June, 1977 and took over charge of the post of Director General, CRPF on the forenoon of the same day.

C. CHAKRABARTY
Director

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 25th June 1977

No. O. II-1046/76-Estt.—The Director General C.R.P.F., is pleased to appoint Dr. Koshy Eapan, as Junior Medical Officer in the C.R.P.F., on an *ad-hoc* basis for a period of 3 months only with effect from the forenoon of 18th June, 1977 or till recruitment to the post is made on regular basis whichever is earlier.

No. O. II-1061/77-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Mohan Charan Sethi, as General Duty Officer, Grade II (Dy. S. P./Coy. Commander) in the C.R.P.F. in a temporary capacity with effect from the forenoon of 9th June, 1977 until further orders.

No. O. II-1064/77-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Kulbhushan, General Duty Officer, Grade-I (Asssistant Commandant) in the C. R. P. F. in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17th June, 1977 until further orders.

No. O.II-1065/77-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Lalit Kumar Shrivatri, as General Duty officer, Grade II (Dy. S. P./Coy. Commander) in the C.R.P.F. in a temporary capacity with effect from the forenoon of 20th June, 1977 until further orders.

The 29th June 1977

No. O.II.1063/77-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. Suresh Kumar Bagdi, as General Duty Officer, Grade-II (Dy. S.P./Coy Commander) in the C.R.P.F. in a temporary capacity with effect from the afternoon of 14th June, 1977 until further orders.

A. K. BANDYOPADHYAY
Asstt. Director (Adm)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-24, the 16th June 1977

No. E-38013(3)/2/77-Pers.—The President is pleased to appoint Shri N. C. Sen Gupta to officiate as Asstt. Commandant CISF Unit Haldia Dock Project on *ad-hoc* basis and assumed the charge of the said post with effect from the forenoon of 9th May 1977.

L. S. BISHT
Inspector General

MINISTRY OF FINANCE
DEPTT. OF ECONOMIC AFFAIRS

Dewas, the 4th June 1977

No. BNP/E/8/N-6.—Shri M. Lakshminarayana, a permanent Inspector Control who was officiating as Deputy Control Officer on *ad-hoc* basis w.e.f. 4.6.76 in the Bank Note Press, Dewas is reverted to the post of Inspector Control w.e.f. the afternoon of 29th May 1977.

P. S. SHIVARAM
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL COMMERCE WORKS & MISC.

New Delhi, the 25th June 1977

No. Admn.I/2(1)/V/1286.—The A.G.C.W.& M : New Delhi has been pleased to appoint Shri K. R. Batra while on F.S. with Delhi Development Authority New Delhi to Officiate in Accounts Officer cadre in his office in the scale of Rs. 840—40—1000—EB—40—1200 with effect from 30-4-77 (FN) under N.B.R. till further orders on provisional basis.

2. The A.G.C.W.& M: New Delhi, has also been pleased to appoint Shri M.L. Salwan, while on deputation with the Badarpur Thermal Project, Badarpur to officiate as Accounts Officer in his office in the scale of Rs. 840—40—1000—EB 40—1200 with effect from 1.6.77 (FN) under NBR till further orders on provisional basis.

S. S. MANN
Dy. Accountant General (ADMN.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL ANDHRA PRADESH

Hyderabad, the 22nd June 1977

No. E.B.I/3-312/77-78/110.—The Accountant General, Andhra Pradesh-1, has been pleased to promote Sri K. George a permanent Section Officer in the Office of the Accountant General, Andhra Pradesh, Hyderabad, to officiate as Accounts Officer in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from 18-6-1977 until further orders.

The promotion ordered is without prejudice to the claims of his seniors.

S. R. MUKHERJEE,
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, BIHAR, (LOCAL AUDIT WING), RANCHI.

THE EXAMINER OF LOCAL ACCOUNT, BIHAR, RANCHI.

Ranchi, the 25th June 1977

Memo No. L.A.-Admn. I-Estt.I-1905.—The Accountant General, Bihar I Ranchi has been pleased to promote Shri S. N. Lal Das, a substantive Section Officer (Audit) of Local Audit Wing to officiate as an Asstt. Examiner of Local Accounts, Bihar with effect from the 22nd day of June, 1977 (F.N.) until further orders.

No. L.A.Admn. I-Estt. I-1911.—The Accountant General, Bihar I Ranchi has been pleased to promote Shri Laxman Das, a substantive Section Officer (Audit) of Local Audit Wing to officiate as an Asstt. Examiner of Local Accounts, Bihar effect from the 22nd June, 1977 (F.N.) until further orders.

No. L.A.Admn. I-Estt. I-1917.—The Accountant General, Bihar I Ranchi has been pleased to promote Shri Birendra Prasad Verma, a Substantive Section Officer (Audit) Local Audit Wing to officiate as an Asstt. Examiner of Local Accounts, Bihar with effect from 22nd June, 1977 (F.N.) until further orders.

V. RAMANATHAN
Examiner of Local Accounts, Bihar

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, MAHARASHTRA-I

Bombay-400 020, the 27th June, 1977

No. Admn. I/Genl./IAD/31-Vol. III/2—The Accountant General, Maharashtra-I, Bombay, is pleased to appoint the following members of the S. A. S. to officiate as Accounts Officers in this office with effect from the dates mentioned against each of them until further orders.

(i) Shri G. S. Bhide . . .	10-6-1977 (F.N.)
(ii) Shri P. G. Nagarkar . .	8-6-1977 (F.N.)
(iii) Kum. S. G. Deo . . .	8-6-1977 (A.N.)
(iv) Shri B. N. Pidhye . . .	8-6-1977 (A.N.)

SMT. R. KRISHNAN KUTTY
Sr. Dy. Accountant General/Admn.

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES HEALTH SERVICES DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-700016, the 21st June 1977

No. 23/77/G.—The President is pleased to appoint Dr. B. R. Chaudhuri, Offg. DADGOF/Med. as Offg. Principal Medical officer on *ad-hoc* basis w.e.f. 27th Sept. 1976 until further orders.

The 23rd June 1977

No. 27/77/G.—The President is pleased to appoint the under-mentioned officers as Ty. Assistant Manager/TSO with effect from the dates shown against each, until further orders:—

1. Dr. Abhijit Purkayastha . .	10th Dec., 1976
2. Shri Chandrasekharapuram Swaminath, Ramanathan . .	6th Dec., 1976
3. Shri Kollamparampil John Kuruvilla	6th Dec., 1976
4. Shri Sudhin Kumar Ray . .	11th Apl., 1977
5. Shri Muthalampat Gopalakrishnan	3rd Jan., 1977
6. Dr. Satyakinkar Desmukh .	1st Dec., 1976
7. Shri Ramkrishna Vishwanath Vaidya	11th Jan., 1977
8. Shri Prabhu Savlaram Kamble .	2nd Dec., 1976
9. Shri Churamoni Mridha . .	1st Dec., 1976
10. Shri Christ Mukty Prasad Kujur	24th Nov., 1976

The 24th June 1977

No. 28/77/G.—The President is pleased to appoint Shri P. L. Jalota, permt General Manager, Grade II as offg. DDGOF, Level-II with effect from 15th October, 1976 (FN).

M. P. R. PILLAI
Asstt. Director General, Ordnance Fys.

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 21st June 1977

IMPORT & EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/1149/76-Admn(G)/4373.—The President is pleased to allow Shri Swaran Singh Stenographer Grade 'B' (*ad hoc*) to continue as Stenographer Grade 'B' on temporary basis with effect from the 30th April, 1977 (AN), until further order.

No. 6/1166/77-Admn(G)/4367.—The President is pleased to allow Shri M. L. Bassi, Stenographer Grade 'B' (*ad hoc*) to continue as Stenographer Grade 'B' on temporary basis with effect from 30th April, 1977 (AN) until further order.

The 23rd June 1977

No. 6/302/55-Admn(G)/4421.—The President is pleased to appoint Km. S. K. Grewal, Dy. Chief Controller of Imports and Exports (Non-CSS) as Joint Chief Controller of Imports and Exports in the office of the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi purely on *ad hoc* and temporary basis for the period from 1st February 1977 to 30th June 1977 or till the regular arrangements are made, whichever is earlier.

No. 6/1018/75-Admn(G)/4440.—On attaining the age of superannuation Shri D. R. Khatri, an officer officiating in the Section Officer's Grade of the CSS, relinquished charge of the post of Controller of Imports and Exports in this office on the afternoon of the 31st May, 1977.

A. S. GILL
Chief Contoroller of Imports and Exports.

New Delhi, the 25th June 1977

No. 3/1/76-Admn(G)/4515.—The Chief Controller of Imports and Exports hereby appoints the following officers nominated by the Union Public Service Commission as Controller of Imports and Exports Class II (Non-CSS) in this office in an officiating capacity with effect from the forenoon of 20th June, 1977 until further orders :—

1. Shri S. Raja Sekhar
2. Shri B. C. Bagchi
3. Shri T. K. Chaudhury

4. Shri S. K. Dadu
5. Shri M. H. Gururaja Rao
6. Shri N. N. Ghosh
7. Shri D. S. Mongia
8. Shri K. M. Natarajan
9. Shri S. K. Venkateswaran
10. Shri S. Narayanan Nair
11. Shri M. L. Bhutani
12. Shri K. K. Roy
13. Shri Ashok Bansod
14. Shri C. V. Niralarajan
15. Smt. Maya Devi Kom
16. Shri S. L. Gade
17. Shri Surat Singh
18. Shri B. R. Kawat

2. On appointment as Controller of Imports and Exports the above-mentioned officers will draw their pay according to rules in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—880—40—1000—EB—40—1200.

A. T. MUKHERJEE,
Dy. Chief Controller of Imports and Exports
for Chief Controller of Imports and Exports.

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(Administration Section A-1)

New Delhi-1, the 23rd June 1977

No. A-1/1(414)II.—The President is pleased to appoint Shri Har Narain, Assistant Director (Grade I) (Grade III of Indian Supply Service Group 'A') in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi to officiate on *ad hoc* basis as Deputy Director of Supplies (Grade II of the Indian Supply Service, Group 'A') in the same Directorate General at New Delhi with effect from the forenoon of 6th June, 1977 and until further orders.

KIRAT SINGH,
Deputy Director (Administration)

DEPARTMENT OF EXPLOSIVES

Nagpur, the 23rd June 1977

No. E-11/(7).—In this Department's Notification No. E-11/(7), dated the 11th July 1969, as amended from time to time, *add* the following namely :

Under Class-6 Division-3

1. *Add* "COAL DELAY DETONATORS" beforoe the entry "DELAY DETONATORS RELAYS".

I. N. MURTY,
Chief Controller of Explosives.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

DEPARTMENT OF MINES

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-700016, the 21st June 1977

No. 40/59/C/19A.—Shri Anantadeb Mukherjee, Superintendent, Geological Survey of India has been appointed by the Director General, Geological Survey of India on promotion as Assistant Administrative Officer in the same department on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 1st June 1977 until further orders *vice* Shri B. M. Guha, Assistant Administrative Officer, Coal Division, Geological Survey of India, Calcutta on leave.

S. V. P. IYENGER,
Deputy Director General (CHQ).

INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 21st June 1977

No. A-19011(40)/70-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri Krishna Kumar, Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines to officiate as Regional Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines with effect from the forenoon of 8th June, 1977, until further orders.

No. A 19011(21)/70-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri B. C. Mishra, Deputy Controller of Mines, Indian Bureau of Mines to Officiate as Regional Controller of Mines in the Indian Bureau of Mines with effect from the forenoon of 6th June, 1977, until further orders.

No. A-19011(90)/75-Estt.A.—Dr. A. K. Ray, Permanent Assistant Ore Dressing Officer, Indian Bureau of Mines is promoted to officiate as Deputy Ore Dressing Officer in Group 'A' post in Indian Bureau of Mines on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of the 1st June, 1977 until further orders.

No. A-19012(91)/77-Estt.A.—Shri R. N. Roshta, Permanent Senior Technical Assistant (Ore Dressing) is promoted to officiate as Assistant Research Officer (Ore Dressing) in Group 'B' post in Indian Bureau of Mines on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 7th June, 1977 until further orders.

No. A-19012(92)/77-Estt.A.—Shri S. C. Srivastava, permanent Senior Technical Assistant (Ore Dressing) is promoted to officiate as Assistant Chemist in Group 'B' post in the Indian Bureau of Mines on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 7th June, 1977 until further orders.

SURESH CHAND,
Head of Office
Indian Bureau of Mines.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

[DIRECTORATE OF NONFORMAL (ADULT) EDUCATION]

New Delhi, the 29th June 1977

No. F. 5-6/77-DNFE.—On transfer on deputation from Ministry of Education & Social Welfare Shri S. P. Arya is appointed to officiate as Hindi officer in the Directorate of Nonformal (Adult) Education, New Delhi, in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 w.e.f. 4-6-1977 (A.N.) for a period of one year.

D. N. SAKSENA,
Director

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

New Delhi-1, the 24th June 1977

No. F. 11-14/76-A.I.—Shri Surinder Singh Rekhi, Asstt. Archivist Grade-I (General) is appointed to officiate as Archivist (General) (Group B-Gazetted) on purely *ad hoc* basis w.e.f. 17-6-1977 (F.N.) and until further orders. This *ad hoc* appointment will not confer any right for claim for regular appointment and will not count for the purpose of seniority and for eligibility for promotion to next higher grade.

DR. S. N. PRASAD,
Director of Archives

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-12, the 24th June 1977

No. F. 70-21/77-Estt./15883.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Shri A. K. Bose, Office Superintendent in the Zoological Survey of India is appointed to officiate as Junior Administrative Officer in the same Department with effect from 20th June, 1977 (forenoon) in the scale of pay of Rs. 650—1200, until further orders.

Dr. T. N. ANANTHAKRISHNAN,
Director

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 23rd June 1977

No. 4(19)/76-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri Roop Krishen Bhat as Programme Executive, Radio Kashmir, Srinagar in a temporary capacity with effect from the 31st May, 1977 and until further orders.

N. K. BHARDWAJ,
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 28th June 1977

No. 10/39/77-SIII.—The Director General, All India Radio, is pleased to appoint Shri J. Thammayya to officiate as Assistant Engineer at High Power Transmitter, AIR, Chinsurah with effect from 21-5-77 (F.N.).

HARJIT SINGH,
Deputy Director of Administration
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 27th June 1977

No. A. 22012/1/77-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri H. K. Kawatra, a permanent officer of the Section Officer's Grade of the C.S.S. to officiate in Grade I of the C.S.S. for a period of 45 days with effect from the forenoon of the 6th June, 1977 or till a regular officer becomes available, whichever is earlier.

The President is also pleased to appoint Shri H. K. Kawatra as Deputy Director (Administration) in the Directorate General of Health Services for the above period.

No. A. 32014/5/77(HQ)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Sarvshri V. R. Mainkar and Surinder Kumar to the posts of Technical Officer in the Central Drugs Standard Control Organisation of the Directorate General of Health Services with effect from the 13th May, 1977 (Forenoon) and 3rd June, 1977 (Forenoon), respectively, in a temporary capacity and until further orders.

S. P. JINDAL,
Deputy Director Administration (O. & M.)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 17th June 1977

No. F. 2(11)/76-Estt.I.—Shri N. Sivaramakrishnan, Asstt. Extension Officer (Grade II) is promoted to officiate as Asstt. Exhibition Officer (Grade I) Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200, in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture) purely on *ad hoc* basis with effect from 9th June, 1977 to 16th July, 1977.

No. F. 2(11)/77-Estt.I.—Shri P. B. Dutta, Senior Artist is appointed to officiate as Assistant Exhibition Officer (visual) Group 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture and Irrigation (Deptt. of Agriculture) purely on *ad-hoc* basis with effect from 17th June, 1977 to 28th February, 1978.

N. K. DUTTA,
Director of Administration

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)
DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION

Faridabad, the 23rd June 1977

No. F. 4-5(45)/75-A.III.—The services of Shri Nattha Ram, Marketing Officer, of this Directorate, are placed at the disposal of National Cooperative Development Corporation for appointment as Deputy Director on foreign service terms for a period of one year with effect from 31-5-1977 (A.N.).

No. F. 4-5(83)/77-A. III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri G. K. Upadhyaya, Assistant Marketing Officer, is appointed to officiate as Marketing Officer (Group II) in the pay scale of Rs 650—1200 at New Delhi, with effect from 9-5-1977 (F.N.), until further orders.

On his appointment as Marketing Officer, Shri Upadhyaya relinquished charge of the post of Assistant Marketing Officer at New Delhi in the forenoon of 9-5-1977.

The 27th June 1977

No. F. 4-6(54)/74-A. III.—Consequent on his selection to the post of Controller of Imports and Exports in the Office of the Chief Controller of Imports and Exports through the Union Public Service Commission, Shri S. K. Dadu, Assistant Marketing Officer, in this Directorate at New Delhi, has been relieved of his duties in this Directorate with effect from the forenoon of 20th June, 1977.

B. L. MANIHAR,
Director of Administration
for Agricultural Marketing Advisor

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(PERSONNEL DIVISION)

Bombay-85, the 24th June 1977

Ref. V/415/Med/Estt.I/2354.—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Roshan Burjor Mistry, a permanent Sister and officiating Asstt. Matron to officiate as Matron, in this Research Centre from 23-5-77 (F.N.) to 2-7-77 (A.N.) *vice* Smt. T. R. Valsangkar, Matron, granted leave.

M. K. S. SUBRAMANIAN,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400001, the 3rd June 1977

No. DPS/A/32011/3/76/Est./11226.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Enery appoints Shri Karuvathil Raveendran, a temporary Assistant of this Directorate to officiate as an Assistant Personnel Officer on an *ad hoc* basis in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—960 with effect from May 5, 1977 (F.N.) to June 10, 1977 (A.N.) *vice* Shri K. P. Joseph, Assistant Personnel Officer appointed as Administrative Officer.

No. DPS/23/4/77-Est./11191.—Director, Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Chowannur Vijayan, a temporary Purchase Assistant of this Directorate as an Assistant Purchase Officer on an *ad hoc* basis in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in the same Directorate with effect from 16-5-1977 to 18-6-1977 *vice* Shri V. Krishnan, Assistant Purchase Officer granted leave.

B. G. KULKARNI,
Assistant Personnel Officer

Bombay-400 001 the 3rd June 1977

Ref. DPS/A/11013/64/75/Est/11288.—In continuation of this Directorate Notification of even number dated March 2, 1977, Director, Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Parari Kizhakkodan Radhakrishnan Officiating storekeeper in the Stores Unit (DPS), VEC Project at Calcutta as an Assistant Stores Officer on an *ad hoc* basis in the same Directorate for a further period of three months ending August 31, 1977.

The 10th June 1977

Ref. DPS/A/32011/3/76-Est./11698.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri P. H. Sawant, a temporary Purchase Assistant of this Directorate to officiate as a temporary Assistant Purchase Officer on an *ad hoc* basis, in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200 in the same Directorate with effect from 26-4-1977 to 4-6-1977 *vice* Shri M. K. Chacko, Assistant Purchase Officer granted leave.

K. P. JOSEPH
Administrative Officer

MADRAS REGIONAL PURCHASE UNIT

Madras-600 006, the 9th June 1977

Ref. MRPU/200(15)/77-Adm.—The Director, Purchase and Stores Department of Atomic Energy is pleased to appoint Shri V. Sripatharao an officiating Storekeeper in the Directorate of Purchase and Stores as Asstt. Stores Officer Central Madras Atomic Power Project Kalpakkam of Directorate of Purchase and Stores on an *ad hoc* basis officiating capacity with effect from the forenoon of 4-4-77 to 7-5-77.

Ref. MRPU/200(16)/77-Adm.—The Director, Purchase and Stores Department of Atomic Energy is pleased to appoint Shri V. Ballakrishnan an officiating Storekeeper in the Directorate of Purchase and Stores as Asst. Stores Officer Central Stores Unit Madras Atomic Power Project Kalpakkam of Purchase and Stores in an *ad hoc* basis officiating capacity with effect from the forenoon of 2-5-77 to 18-6-77.

Ref. MRPU/200(19)/77-Adm.—The Director, Purchase and Stores Department of Atomic Energy is pleased to appoint Shri R. Narayanan an officiating Store-Keeper in the the Directorate of Purchase and Stores as Asstt. Stores Officer Central Stores Unit Madras Atomic Power Kalpakkam of Directorate of Purchase and Stores on an *ad hoc* basis officiating capacity with effect from the forenoon of 5-5-77 to 18-6-77.

S. RANGACHARY
Purchase Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400 008, the 24th June 1977

Ref. HWPs/Estt./1/S-39/3408.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri P. S. Sundaram, a temporary Stenographers (Senior) of Heavy Water Project (Baroda) to officiate as Assistant Personnel Officer in the same project during the period from May 2, 1977 to June 4, 1977 (A.N.) *vice* Shri S. C. Thakur, Assistant Personnel Officer, appointed to officite as Administrative Officer, Heavy Water Project (Baroda).

T. C. SATHYAKEERTHY
Senior Administrative Officer

Bombay-400 008, the 24th June 1977

No. 05052/77/3433.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Hari Krishan Rastogi, a temporary Scientific Assistant 'C' of Heavy Water Project (Baroda), to officiate as Scientific Officer/Engineer (Grade SB), in the same project, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of February 1, 1977, until further orders.

No. 05052/77/3434.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Digamber Vishwanath Bhokarkar, a temporary Foreman of Heavy Water Project (Baroda), to officiate as Scientific Officer/Engineer (Grade SB), in the same project, in a temporary capacity, with effect from the forenoon of February 1, 1977 until further orders.

No. 05052/77/3435.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Raj Kumar Lakhi, a temporary Scientific Assistant 'C' of Heavy Water Project (Baroda), to officiate as Scientific Officer/Engineer (Grade SB), in the same project, in a temporary capaciy, with effect from the forenoon of February 1, 1977, until further orders.

The 27th June 1977

No. 05052/77/3439.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Krishna Direndracharya Nanjangud, a temporary Supervisor (civil) of Heavy Water Project (Tuticorin), to officiate as Scientific Officer/Engineer (Grade SB), in the same project, in a temporary capacity, with effect rom the forenoon of February 1, 1977, until further orders.

No. 05000/M/114/3440.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri A. N. Muthuswamy, a permanent Accountant of Rajasthan Atomic Power Project, to officiate as Assistant Accounts Officer in Heavy Water Project (Tuticorin) in a temporary capacity with effect from May 20, 1977 (F.N.) until further orders.

R. C. KOTIANKAL
Administative Officer

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 27th June 1977

No. E(1)05826.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri M. L. Kala, Professional Assistant Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi, to officiate as Assistant Meteorologist for a period of EIGHTYSEVEN days from 6-6-77 to 31-8-77.

Shri Kala, Officiating Assistant Meteorologist, remains posted to the Headquarters office of the Director General of Observatories, New Delhi.

M. R. N. MANIAN
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 27th May 1977

No. A. 32013/13/76-ES.—The President is pleased to appoint Shri B. R. Sharma to officiate as Deputy Director of Aeronautical Inspection, in the office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi with effect from the 29th April, 1977 (F.N.) until further orders.

V. V. JOHRI
Assistant Director of Administration

New Delhi, the 20th June 1977

No. A. 32014/1/77-EC.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri C. P. Gopinathan, Communication Assistant in the Aeronautical Communication Organisation of the Civil Aviation Department to the grade of Assistant Communication Officer on an *ad-hoc* basis with effect from the 24-4-1977 (F.N.) and to post him at Aeronautical Communication Station, Hyderabad *vice* Shri K. C. Nair, Assistant Communication Officer granted earned leave.

P. C. JAIN
Asstt. Director (Administration)

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE :
OFFICE OF THE COLLECTOR OF CENTRAL EXCISE

Hyderabad-1, the 7th October 1976

HQ. PC. No. 21/76.—The names of the following persons and the particulars pertaining to them mentioned against each

may kindly be published in the Official Gazette. The publication is permitted by virtue of the provisions of Rule 3 of the Customs (Publication of Names) Rules, 1975.

"(1) Shri Kalyan Bhai Thaverchand Shah,
S/o Thaverchand, Navagaon village,
Udayapur District, Rajasthan.

was convicted by the IVth Metropolitan Magistrate, Hyderabad on 30-1-76 under Section 135-B of the Customs Act, 1962 and was sentenced to undergo rigorous imprisonment for six months. Shri K. T. Shah was found to have acquired possession of wrist watches of foreign origin valued Rs. 16,080/-.

(2) Shri Abdul Sattar, S/o Moosa,
R/o D. No. 1-2-587/9, Domalguda, Hyderabad

was convicted by the VIth Metropolitan Magistrate, Hyderabad on 11-2-76 and was imposed a fine of Rs. 1000/- and to undergo simple imprisonment till raising of the Court under Section 135-B of the Customs Act. He was also sentenced under Sec. 85 of the Gold (Control) Act to suffer simple imprisonment till raising of the Court and to pay a fine of Rs. 1000/- in default to suffer simple imprisonment for a period of 6 months. Shri Sattar was found in possession of 90 wrist watches of foreign origin, 15 packets of super silver gillette blades and 10 packets gillette platinum blades, 2 gold coins of 20 dollar denomination.

(3) Shri Mohd. Anwar, S/o Ismail,
23-2-318, Mogalpura, Hyderabad

was convicted by the Vth Metropolitan Magistrate, Hyderabad on 17-5-76 under Section 135-B of the Customs Act and was sentenced to undergo rigorous imprisonment for one year. The conviction was upheld on appeal but the sentence was reduced to 9 months. Sri Mohd. Anwar was found in possession of foreign fabrics worth Rs. 3845/-."

S. K. SRIVASTAVA
Collector

Allahabad, the 23rd June 1977

No. 19/1977.—Shri S. A. M. Rizvi, Officiating Superintendent of Central Excise, Group 'B' posted at Jaunpur in Mirzapur Division has retired from Government service in the afternoon of 30-4-77.

No. 20/1977.—Shri K. M. L. Mathur, confirmed Inspector (S.G.) posted at Chandausi in Rampur Division & appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Group 'B' until further orders in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—E.B.—35—880—40—1000—E.B.—40—1200 *vide* Establishment order No. 301/1977 dated 3-12-76 took over charge of the office of the Superintendent Group 'B' in the Central Excise, Division, Allahabad on 23-12-76 (F.N.).

K. S. DILIPSINGHJI
Collector

VAN ANUSANDHAN SANSTHAN EVAM MAHAVIDYALAYA

Dehra Dun, the 24th June 1977

No. 16/258/76-Ests-I.—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun is pleased to appoint Shri Hori Lal as Research Officer at the Forest Research Laboratory, Bangalore with effect from the forenoon of 16-5-1977 until further orders.

No. 16/110A/77-Ests-I.—Shri P. N. Nigam, Research Officer, Forest Research Institute & Colleges, Dehra Dun, expired on 30th May, 1977.

H. B. JOSHI
Kul Sachiv
Van Anusandhan Sansthan Evam Mahavidyalaya

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay-400 001, the 25th June 1977

No. 25-ADMN(2)/77.—On the recommendations of the Union Public Service Commission the Director General of Shipping hereby appoints Shri Y. M. Agnihotri, permanent Superintendent in the Directorate General of Shipping, as Freight Investigating Officer, Kandla in a temporary capacity with effect from the 12th May 1977 (Forenoon) until further orders.

S. M. OCHANEY
Deputy Director General of Shipping

SOUTH EASTERN RAILWAY
GENERAL MANAGER'S OFFICE

Calcutta-700043, the 22nd June 1977

No. P/G/14/300F.—Shri P. U. C. Chowary Offg. Class-II Officer of the General Administration Branch is confirmed as Asstt. Public Relations Officer (Class-II) with effect from 30-8-1974, and allotted to the T(T)&C. Department.

M. MENEZES,
General Manager

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY
GENERAL MANAGER'S OFFICE
(Personnel Branch)

Pandu, the 16th June 1977

No. E/55/III/96 PII(O).—The following officers are confirmed in Class II service as Assistant Electrical Engineer with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date from which confirmed
1.	Shri B. B. Sarkar	5-5-76
2.	Shri A. V. Sundaram	1-12-76

The 23rd June 1977

No. E/55/III/92 Pt. II(O).—Shri D. Singh who was appointed as a Probationer in the Signal Engineering Department of the superior Revenue Establishment of Indian Railways is confirmed in the Junior Scale with effect from 8-2-1977.

G. H. KESWANI
General Manager

OFFICE OF THE CHIEF PERSONNEL OFFICER
GARDEN REACH

Garden Reach the 17th June, 1977

No. P/G/14/300F.—The following officiating Class II Officers of the General Administration Branch of this Railway are confirmed in that appointment with effect from the date noted against each. The department to which each officer is allocated is also indicated.

Sl. No.	Name	Confirmation againtst Class II Post	Date of Confirmation	Department to which allocated
1.	Sri A. K. Das	Asstt. Deputy General Manager	3-3-76	Civil Engg.
2.	Sri M. S. R. Murty	Asstt. Secretary to G. M.	3-3-76	Civil Engg.

M. S. GUJRAL
General Manager

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION
DEPTT. OF LABOUR & EMPLOYMENT
OFFICE OF THE WELFARE COMMISSIONER, MICA MINES LABOUR WELFARE FUND, RAJASTHAN

Bhilwara, the 2nd June 1977

No. 1/2/77-Estt. I.— Consequent upon his appointment as Accounts Officer, Mica Mines Labour Welfare Organisation, Rajasthan, Bhilwara Shri R. L. Kothari, Section Officer of the Office of the Accountant General, Rajasthan, Jaipur, assumed charge of the post of the Accounts Officer, Mica Mines Labour Welfare Organisation, Rajasthan, Bhilwara on the forenoon of 10th May, 1977.

N. L. SHARMA
Welfare Commissioner

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)
COMPANY LAW BOARD
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of

M/s. Debonair Limited

Hyderabad-500001, the 16th June 1977

No. 643/560(3)/77.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Debonair Limited unless cause is shown to the controry, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

O. P. JAIN
Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of "Malaimagal Funds Private Limited".

Pondicherry, the 27th June 1977

C. No. 99/76.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name "Malaimagal Funds Private Limited" has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

SEETHARAM
Registrar of Companies
Pondicherry

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF—INCOME-TAX

New Delhi, the 22nd June 1977

INCOME TAX

F. No. JUR/DLI/II/77-78/15861—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 123 of the I. T. Act 1961 (43 of 1961) and of all other enabling powers in this behalf and in modification of earlier orders on the subject the Commissioner of Income-tax, Delhi-II, New Delhi hereby directs that the Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax mentioned in Col 1 of the Schedule herein below shall perform all the functions of Inspecting Assistant Commissioners of Income-tax under said Act in respect of such areas or of such persons or classes of persons of such incomes or classes of income or of such cases of classes of cases as fall within the jurisdiction of the ITOs of the Districts/Circles mentioned in Col 2 of the said schedule :—

SCHEDULE

Range	Income-tax Distt./Circles
1	2
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax Range-II-B, New Delhi.	1. District-VI, New Delhi.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II-C-cum-ED, New Delhi.	1. Companies Circles-VI, XVII, XVIII, XXI, XXIV, New Delhi. 2. Estate Duty-cum-Income-tax Circle. 3. Additional Estate Duty-cum-Income-tax Circle, New Delhi. 4. Trust Circle-III, New Delhi.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Range-II-D, New Delhi.	1. Companies Circle-XXII, New Delhi. 2. Contractors' Circles, New Delhi. 3. Lawyers Circle I & II, New Delhi. 4. Trust Circles I & II, New Delhi.

This notification shall take effect from 20-6-77.

JAGDISH CHAND
Commissioner of Income-tax,
Delhi-II, New Delhi.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

MAREENA BUILDINGS, M. G. ROAD, ERNAKULAM, COCHIN-682016

Cochin-682016, the 27th June 1977

Ref. No. I.C. No. 143/77-78.—Whereas I, C. P. A. VASUDEVAN
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act')
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Chengazhasseri Village, Trivandrum
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Chalai on 24-1-77,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Lakshmi Ammal. (Transferor)

(2) Dr. P. Neelakandan. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

8 cents of land with buildings in Sy. No. 9/64 of Chengazhasseri Village, in Trivandrum.

C. P. A. VASUDEVAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam.

Date : 27-6-1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1977

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/77-78/871/.—Whereas, I, R. K. BALI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
A piece of land of 20.13 acres of Durga Bagh Palace, Survey No. 43, Dewas situated at Dewas
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dewas on 4-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

7—156GI/77

(1) Shri H. H. Maharaja Yeshwant Rao Pawar of Dewas (Junior)
Durga Bagh, Dewas.

(Transferor)

(2) M/s. Prem Syndicate,
11, Tukoganj, Main Road, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A piece of land of 20.13 acres of Durga Bagh Palace, Survey No. 43, Dewas.

R. K. BALI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 1st July, 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
BHOPAL

Bhopal, the 1st July 1977

Ref. No. IAC/ACQ/BPL./77-78/872/.—Whereas, I, R. K. BALI
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land and Building at E1/165, Private Sector of Arera Colony, Bhopal situated at Bhopal
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhopal on 16-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri G. N. Parthasarathy
S/o Shri G. C. Natrajan,
R/o E1/165, Private Sector,
Arera Colony, Bhopal.

(Transferor)

(2) Smt. Chandra Kanta Sharma,
Partner of M/s. Universal Industries,
2/3, Industrial Estate,
Govindpura, Bhopal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building at E1/165, Private Sector of Arera Colony, Bhopal.

R. K. BALI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal.

Date : 1st July, 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
LUCKNOW

Lucknow, the 1st July, 1977

Ref. No. 34-V/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing
House No. 100/13, situated at Rajan Ashram, Ganney Wali Gali, Gautam Budh Marg, Lucknow
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Lucknow on 22-11-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Dr. Mrs. Elizabeth Joseph.

(Transferor)

(2) S/Shri Vijendra Singh, Devendra Singh, Smt. Vimla Singh, Saroj Dahiya, Asha Dahiya.

(Transferee)

(3) Dr. Mrs. Elizabeth Joseph.

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house known as 'RAJAN ASHRAM' 100/13, Ganney Wali, Gautam Budh Marg, Lucknow.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 1-7-1977
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,
SHILLONG

Shillong, the 25th June 1977

Ref. No. A-132/77-78/TSK/.—Whereas, I, Egbert Singh being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Dag No. 337, 339, (Old) 422, 425 & 505 new and P.P. No. 28 (Old) 73 and 75 New situated at Makum Junction, Makum, Dibrugarh, Assam
in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dibrugarh on 1-12-1976
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ho Foon Leong

2. Ho Kam Cheong,

3. Mrs. Mak Chau Ming
F/Sri Ho Foon Leong of Mukum Junction.

(Transferor)

(2) Smt. Bulbul Bhattacharjee
W/o Shri Bimal Kr. Bhattacharjee
Makum Junction Road.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4 (four) Bigha 0 Katha and 19 (Nineteen) Lechas along with a Chang Bungalow, Houses and Sheds situated at Makum Junction Town, in the District of Dibrugarh, Assam.

EGBERT SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Shillong

Date : 25-6-1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. CHD/48/76-77/.—Whereas, I, E. K. KOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. SCO NO. 61, sector 30-C, situated at Chandigarh, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in October, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Pran Nath Sekhri
S/o Lala Gian Chand Sekhri
R/o House No. 1239, Sector 22-B,
Chandigarh. (Transferor)

(2) Shri Rattan Chand
S/o Pandit Ram Lal
C/o SCF No. 61, Sector 30-C,
Chandigarh. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCO No. 61, Sector 30-C, Chandigarh.

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. CHD/54/76/77/.—Whereas, I, E. K. KOSHI, being the competent authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), thereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-
SCO No. 181, 182 Sector 17-C, Chandigarh
situated at Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Chandigarh in October, 1976
for an apparent conderation which is less than the four market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

S/Shri

(1) 1. Des Raj Juneja
S/o Mool Chand Juneja
2. Naresh Kumar Juneja
3. Ajay Kumar Juneja
} Sons of Shri Des Raj Juneja

4. Smt. Saraswati
W/o Des Raj Juneja

5. Smt. Sushil
W/o Shri Naresh Kumar Juneja
Residents of House No. 592 Sector 10-D, Chandigarh.

(Transferor)

S/Shri

(2) 1. Darshan Singh Ahuja
S/o S. Bhagwan Singh Ahuja

2. S. Harinder Singh Ahuja
3. S. Kanwaljit Singh Ahuja
} Minor sons of S. Darshan Singh Ahuja

through their father and natural guardian
S. Darshan Singh Ahuja.

Residents of House No. 56, Sector 8-A, Chandigarh.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCO No. 181-182, Sector 17-C, Chandigarh.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 497 of October, 1976 of the Registring Officer Chandigarh.)

E. K. KOSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE,

ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. CHD/55/76-77/.—Whereas, I, E. K. KOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House No. 2570, Sector 22-C, Chandigrah situated at Chandisons, namely :—
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under
the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at
Chandigarh in October, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurdev Singh S/o Sh. Amar Singh, Resident of House No. 2005, Sector 23-C, Chandigarh.
(Transferor)

(2) 1. Shri Karam Singh
2. Shri Avtar Singh } Sons of Sh. Hazara Singh
(Transferee)
Residents of Village Kailon, Tehsil Kharar, Distt. Ropar.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 2570, Sector 22-C, Chandigarh.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 526 of October, 1976 of the Registering Officer Chandigarh).

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE,
ROHTAK

Rohtak, the 8th June 1977

Ref. No. BGR/13/76-77.—Whereas, I, E. K. KOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Factory building situated on Plot No. 7A, N.H. 1, N.I.T. Faridabad situated at Faridabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabhgarh in October, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Sant Ram Bhatia HUF through Karta Shri Sant Ram Bhatia, C/o Bhatia Electricals Pvt. Ltd. Market No. 1, N.I.T. Faridabad. (Transferor)

(2) M/s. Bhatia Electricals Private Ltd. Market No. 1, N.I.T. Faridabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory building situated on Plot No. 7A, N.H. 1, N.I.T. Faridabad.

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 3585 of October, 1976, of the Registering Officer Ballab Garh.)

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.
ACQUISITION RANGE,
ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. CHD/62/76-77/.—Whereas, I, E. K. KOSHI, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Factory Building No. 17, Industrial Area, Chandigarh, situated at Industrial Area, Chandigarh
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in November 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Avtar Singh S/o Shri Raja Ram,
Resident of 17, Industrial Area,
Chandigarh.
(Transferor)

(2) 1. Shri Wadhawa Singh Sokhi S/o Shri Saudagar Singh,
2. Shri Ajit Singh,
3. Shri Swaran Singh, } Sons of Sh. Wadhawa Singh
4. Shri Satpal Singh,
Resident of 8, Timber Market,
Chandigarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory building constructed on plot No. 17 Industrial Area, Chandigarh.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 625 of November, 1976 of the Registering Officer Chandigarh.)

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. KNL/32/76-77/.—Whereas, I, E. K. KOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number Plot of Land situated at Railway Road, Karnal, situated at Railway Road, Karnal (and more fully) described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Karnal in November, 1976 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Madan Lal
S/o Shri Banarsi Dass Aggarwal
Resident of Shop No. 3 Nai Mandi,
Karnal.

(Transferor)

(2) M/s. Liberty Foot Wear Company,
Railway Road,
Karnal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisiton of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 553 Sq. yds. situated on Railway Road, Karnal.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 11701 of November, 1976 of the Registering Officer Karnal.)

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
HOHTAK

Hohtak, the 28th June 1977

Ref. No. KNL/33/76-77/.—Whereas, I, E. K. KOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot of land situated Railway Road, Karnal,
situated at Railway Road, Karnal,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of (1908), in the office of the Registering Officer
at Karnal in November, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Kailash Chand
S/o Shri Banarsi Dass Aggarwal,
Resident of Shop No. 3 Nai Mandi,
Karnal.
(Transferor)

(2) M/s. Liberty Foot Wear Company,
Railway Road,
Karnal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 622 Sq. yds. situated at Railway Road, Karnal.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 11702 of November, 1977 of the Registering Officer Karnal.)

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. KNL/38/76-77/.—Whereas, I, E. K. KOSHI, being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act., 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot of land situated at Railway Road, Karnal,
situated at Railway Road, Karnal,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Karnal in November, 1976
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Kailash Chand
S/o Shri Banarsi Dass Aggarwal,
Resident of Shop No. 3 Nai Mandi,
Karnal.
(Transferor)

(2) M/s. Liberty Foot Wear Company,
Railway Road,
Karnal.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 553 Sq. yds. situated at Railway Road, Karnal.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 12154 of December, 1976 of the Registering Officer Karnal.)

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE,
ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. CHD/69/76-77/.—Whereas, I, E. K. KOSHI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot No. 2108, Sector 35-C, Chandigarh,
situated at Sector 35-C, Chandigarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in December, 1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Pushpa Kumari
Wd/o Captain Ramesh Chander,
Resident of VPO Sadon Tehsil and Distt. Kangra (H.P.).
(Transferor)

(2) Shri Ramesh Sehgal I.P.S.,
S/o Shri Shiv Dyal,
Resident of House No. 545, Sector 10, Chandigarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 2108 situated in Sector 35-C, Chandigarh..

(Property as mentioned in the Registered Deed No. 679 of December, 1976 of the Registering Officer Chandigarh.)

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. CHD/79/76-77.—Whereas, I, E. K. KOSHI,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No. SCF. No. 9, Sector 27-C, Chandigarh situated at Sector 27-C, Chandigarh (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in February 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri B. S. Sawhney S/o Shri D. R. Sawhney
R/o Khushniketan, Civil Lines,
Ludhiana.

(Transferor)

(2) 1. Shri Ram Saran Dass
S/o Shri Dal Chand
2. Mrs. Promila Bhateja
W/o Shri Ram Saran Dass
Resident of House No. 212 Sector 18-A,
Chandigarh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

SCF No. 9, Sector 27-C, Chandigarh.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1375 of February 1977 of the Registering Officer Chandigarh.)

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. CHD/82/76-77.—Whereas, I, E. K. KOSHI, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 1302 Sector 34-C, Chandigarh,
situated at Sector 34-C, Chandigarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chandigarh in February 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Vidya Kaur
W/o Late Shri Shiv Darshan Singh,
C/o Shri Rattan Singh Advocate,
House No. 61 Sector 8-B,
Chandigarh.
(Transferor)

(2) Shri Naginder Singh
S/o Shri Kartar Singh,
Resident of House No. 3063, Sector 20-D,
Chandigarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 1302, Sector 34-C, Chandigarh.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1458 of February 1977 of the Registering Officer, Chandigarh.)

E. K. KOSHI
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,
ROHTAK

Rohtak, the 28th June 1977

Ref. No. CHD/84/76-77.—Whereas, I, E. K. KOSHI, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 1289, Sector 34-C, Chandigarh
situated at Sector 34-C, Chandigarh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Chandigarh in February 1977,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the
consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Saroj Sachdeva
Wd/o Shri Ramesh Sachdeva,
Resident of B-4/272, Mohalla Bandian,
Ludhiana.
(Transferor)

(2) Shri Shori Lal Kumar
S/o Shri Kartar Chand,
Resident of House No. 3415,
Sector 27-D, Chandigarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons wihin a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Residential Plot No. 1289, Sector 34-C, Chandigarh.
(Property as mentioned in the Registered Deed No. 1551 of February 1977 of the Registering Officer, Chandigarh.)

E. K. KOSHI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak.

Date : 28th June 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOMHOUSE; ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th June 1977

Ref. No. Acq.23-I-1209(576)/1-1/76-77.—Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Final Plot No. 233, Sub-Plot No. 16 of T.P.S. No. 20 situated at Kochrab, Near H. L. College of Commerce, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ahmedabad on 16-12-1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/ or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

9—156GI/77

(1) Shri Jasbhai Umedbhai Patel,
Navrangpura, Ahmedabad.
(Transferor)

(2) Ramjilal Tapasiram Bajaj,
Near Cloth Market,
Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed building standing on land admeasuring 250 sq. yds. bearing Final Plot No. 233 Sub-Plot No. 16 of T.P.S. No. 20 situated Kochrab, Near H. L. College of Commerce Navrangpura, Ahmedabad, described in the sale-deed vide Registration No. 10194 dated 16-12-76, by Registering Officer, Ahmedabad.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 25th June, 1977
Seal ;

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THA INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th June 1977

Ref. No. Acq.23-I-1209(577)/1-1/76-77.—Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Final Plot No. 233, Sub-Plot No 16 of T.P.S. No. 20
situated at Kochrab, Near H. L. Commerce College, Ahmedabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 16-12-1976
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Jashbhai Umedbhai Patel,
Navrangpura, Ahmedabad.
(Transferor,

(2) Ishwarchand Murarilal Gupta,
Kalupur, Ahmedabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Double storeyed building standing on land admeasuring 353 sq. yds., bearing Final Plot No. 233, Sub-Plot No. 16 of T.P.S. No. 20 of Kochrab Ahmedabad as described in the sale-deed vide Registration No. 1093/76 dated 16-12-1976 by the Registering Officer, Ahmedabad.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 25th June, 1977
Seal ;

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th June 1977

Ref. No. Acq.23-I-1275(578)/16-6/76-77.—Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 405-B situated at Dr. Yagnik Road, Rajkot
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 20-1-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shri Labhshankar Vjeshankar Trivedi, "Samir", Dr. Yagnik Road, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Jaisukhlal Keshavlal Bakhada, 29, Karan Para, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and "Jasdin" building bearing S. No. 405-B paiki Sanad form 'A' situated at Dr. Yagnik Road, admeasuring 305-50—0sq. yds. as described in the sale deed registered under registration No. 149 in the month of january, 1977 by the Registering Officer, Rajkot.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 25th June, 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 25th June 1977

Ref. No. Acq.23-I-1269(579)/11-1/76-77.—Whereas, I, S. C. PARIKH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 371/1, outside Majewadi Gate, situated at Junagadh Rajkot Road, Junagadh
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Junagadh on 3-2-1977,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sarlaben Ramniklal Parekh & others,
Opp. Mahalaxmi Mandir, Junagadh.

(Transferor)

(2) Shri Pravinchandra Vallabhdas Shah & Another,
Rethan Falia, Junagadh.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 19602 sq yds. bearing Survey No. 371/1, outside Majewadi Gate and situated at Junagadh-Rajkot Highway Road, Junagadh.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date : 25th June, 1977
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 29th June 1977

No. Acq. 23-I-1273(580)/11-6/76-77.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 10, Ward-2, Rajmahal Road, situated at Veraval,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Veraval, on 1-2-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwandas Mangalji Raja, 244, Kalbadevi Road, Bombay.

(Transferor)

(2) Shri Amratlal Vallabhdas, Rajmahal Road, Veraval.

(Transferee)

Objections ,if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Three storeyed building standing on land admeasuring 1000 sq. yds., bearing S. No. 10, Ward No. 2, situated at Rajmahal Road, Veraval.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad-380009

Date : 29th June, 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE : ASHRAM ROAD AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 29th June 1977

No. Acq. 23-I-1232(581)/5-2/76-77.—Whereas, I, S. C. PARIKH.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No.
Survey No. 680/2, plot No. 1215, situated at Paliad Road, Botad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Botad on 11-11-76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Natwarlal Govindbhai and others, Havaldar's Sheri, Botad.

(Transferor)

(2) Shri Murlidhar Co-op. Housing Society, through Shri Maganlal Ukabhai Patel, Botad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 7045 sq. yds. bearing S. No. 680/2, Plot No. 1215, situated on Paliad Road, Botad, Distt : Bhavnagar.

S. C. PARIKH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dated : 29th June, 1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd June 1977

Ref. No. 578/Acq/G. Bd/76-77.—Whereas I, R. P. BHARGAVA,
being the competent Authority under section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per Schedule situated as per schedule ....
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
at Ghaziabad on 16.11.76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. S/Shri Jai Prakash, Iswar and Gajraj sons of Ratan Lal, Resident of Village Sara, P.o. Khas Parg. Jalalabad, Distt. Ghaziabad.

(Transferor)

(2) S/Shri Ramesh Chand, Shriom and Baleshwar sons of Shri Dulichand, R/o Vill. Sara, P.O. Khas Parg. Jalahabad, Distt. Ghaziabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Agricultural Lino Measuring Five Bigha Nineteen Biswa and nine Biswansi Bearing Khasra No. 417, Village Sara, Parg. Jalalabad, Distt. Ghaziabad, Transferred for an Apparent Consideration of Rs. 20.612/-.

R. P. BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

date : 22.6.1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd June 1977

Fef. No. 2/Acq/G.Bad/76-77.—Whereas I, R. P. BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
number as per schedulee situated at AS PER SCHEDULE
1908) in the office of the ARegistraing Officer
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registrating Officer at
at Ghaziabad on 25.11.76
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisiton of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. S/Shri Mustaq son of Meerdad, R/o Vill. Tyodi Sat Biswa, Post. Tyodi Terah Biswa, Parg. Jalalabad, Distt. Ghaziabad.

(Transferors)

2. S/Shri Aabeed Rasan and Abdul Wahid, Sons of Shri Mohd. Yaqub, R/o Vill. Tyedi Sat Biswa, Parg. Jalalabad, P.O. Tyodi Terah Biswa, Distt. Ghaziabad.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever, period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of agricultural land measuring five Bigha comprised in Kata No. 226, situated at Vill. Tyodi Sat Biswa, Parg. Jalalabad, Distt. Ghaziabad., Transferred for an apparent consideration of Rs. 31,500/-.

R. P. BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22.6.1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd June 1977

Ref. No. 4/Ghaziabad/76-77.—Whereas I, R. P. BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
number as per Schedule situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ghaziabad on 23.11.76
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

156GI/77

1. S/Shri Smt. Krishnawati W/O Shri Mangat Resident of Village : Khindora, P.O. Khas, Parg Jalalabad, Distt. Ghaziabad.

(Transferor)

2. S/Shri Gangadas and Harsharan Sharma Sons of Shri Sher Singh Resident of Mathur, P.O. Tholari, Parg. Jalalabad, Distt. Ghaziabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisiton of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of Notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable Property Consisting of Agricultural Land Measuring 12 Bigha, 17 Biswa and 13 Biswansi comprised in chak No. 67, Situated at Village Mandola, Parg, Loni, Distt. Ghaziabad, Transferred for an Apparent Consideration of Rs. 85,000/-.

R. P. BHARGAVA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Kanpur

Date : 22.6.1977
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 25th June 1977

No. Ref. No. 518/Acq/Meerut/76-77.—Whereas I, R. P. BHARGAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
as per Schedule situated at as per Schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Meerut on 5.10.1976
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. S/Shri Charan Das S/o Ganda Ram, R/o Devpuri, Meerut, Mukhtaraam, Shri Ram Saran S/o Sagwa Singh, R/o Thatherwada, Meerut.

(Transferor)

2. S/Shri Smt. Krishna Rani W/o Baldeo Raj R/o Topachiwada, Meerut, Sohan Lal S/o Charan Das Handia, R/o Muzaffarnagar, Smt. Kaushalya W/o Ram Das, R/o Beripura, Muzaffarnagar, Smt. Swarna Lata W/o Bharat Bhushan, Harisingh Nalwa Street, Delhi, and Smt. Suman W/o N. R. Sachdeva, Baghpat, Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable Property Consisting of Land Measuring 1 Bigha, 13 Biswa Comprised in Khasra No. 1580, Situated at Madhuban Colony, Baghaat Road, Meerut, Transferred for an Apparent Consderation of Rs. 1,35,000/-.

R. P. BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 25.6.1977

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI-I (110001)

New Delhi, the 28th June 1977

Ref. No. IAC/Acq.I/SRIII/1168/Oct-II(5)/76-77/.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
S-185 situated at Greater Kailash-II, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 18-10-1976
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Navraj Kwatra
s/o S. Pritam Singh Kwatra
r/o K-25, Hauz Khas Enclave, New Delhi and Mrs. Kandla Kanwal r/o R-25, Hauz Khas, New Delhi, through Attorney Navraj Kwatra.

(Transferor)

(2) Smt. Vidya Vati Sawhney
w/o Late Shri Raghbir Sawhney
r/o S-185, Greater Kailash-II, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A built house on a free-hold plot of land bearing No. S-185, measuring 140 sq. yds. situated at Greater Kailash-II, New Delhi.

J. S. GILL
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Delhi/New Delhi.

Date : 28-6-1977
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

COMBINED LIMITED DEPARTMENTAL COMPETITIVE EXAMINATION, 1977

New Delhi-110011, the 16th July 1977

No. F.9/7/76-E.I(B).—In the Union Public Service Commission Notice No. F.9/7/76-E.I.(B), dated 9th October, 1976, published in the Gazette of India, Part III, Section I, dated 9th October, 1976, the following amendments shall be made :—

(i) Para 1 of the Notice should read as under :—

"A combined limited departmental competitive examination for additions in the Select Lists for the Section Officers' Grade and Stenographers' Grade I/Grade B of the Services mentioned in para 2 below will be held by the Union Public Service Commission commencing on 24th November, 1977 at BOMBAY, CALCUTTA, DELHI, MADRAS, NAGPUR and at selected Indian Missions abroad in accordance with the Rules published by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) in the Gazette of India, dated 9th October 1976 as amended by the Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) Notification published in the Gazette of India dated 16th July, 1977 enhancing the upper age limit in Rule 3(a) from 45 years to 50 years.

THE CENTRES AND THE DATE OF COMMENCEMENT OF THE EXAMINATION AS MENTIONED ABOVE ARE LIABLE TO BE CHANGED AT THE DISCRETION OF THE COMMISSION. CANDIDATES ADMITTED TO THE EXAMINATION WILL BE INFORMED OF THE TIME TABLE AND PLACE OR PLACES OF EXAMINATION (See Annexure II para 9)."

(ii) For the words and figures "31st October 1977" occurring in line 11 in N.B. below para 3 of the Notice the words and figures "15th June, 1978" shall be substituted.

(iii) Under para 5 of the Notice the folowing sub-para shall be added.

"Applications from candidates, who are above 45 years but below 50 years and who have become eligible in terms of amendments to the Rules for the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 1977, notified *vide* Department of Personnel and Administrative Reforms Notification No. 5/38/76-CS(I) dated 16th July, 1977 will be accepted upto the 22nd August, 1977 (5th September, 1977 from those residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep)".

"N.B. 1.—Candidates upto the age of 45 years as on 1-1-1977, who have already submitted their applications need not apply again."

"N.B. 2.—Fresh applications from candidates upto the age of 45 years as on 1-1-1977 will *not* be entertained."

(iv) Under para 2(ii) of Annexure II to the Notice, the following proviso shall be added after sub-para 3.

"Provided that candidate who has become eligible in terms of the Department of Personnel and Administrative Reforms Notification No. 5/38/76-CS(I) dated 16th July, 1977 and who is residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep may at the discretion of the Commission by required to furnish documentary evidence to show that he was residing abroad or in the Andaman & Nicobar Islands or in Lakshadweep from a date prior to 22nd August, 1977."

(v) The word and figure "SEPTEMBER, 1977" occurring in lines 15 and 16 of NOTE below para 3 of Annexure II to the Notice, the word and figure "MAY, 1978" shall be substituted.

R. S. COELA,
Deputy Secretary,
Union Public Service Commission.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977